रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28052025-263434
CG-DL-E-28052025-263434

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2302] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 27, 2025/ज्येष्ठ 6, 1947
No. 2302] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 27, 2025/JYAISHTHA 6, 1947

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई , 2025

का.आ. 2356(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक का.आ. 4325(अ), तारीख 03 अक्टूबर, 2024, द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 03 अक्टूबर, 2024 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना की बाबत व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप, टिप्पणी और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, त्राल वन्यजीव अभयारण्य श्रीनगर शहर से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में स्थित है। यह कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले में स्थित है और जिला मुख्यालय पुलवामा लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। निकटतम हवाई अड्डा श्रीनगर 50 किलोमीटर दूर है और निकटतम रेलवे स्टेशन अवंतीपोरा 15 किलोमीटर दूर है।

और, ऐतिहासिक रूप से, संरक्षित क्षेत्र के कुछ हिस्सों, अर्थात् शिकारगाह और खानगुंड (पहले संरक्षण रिजर्व के रूप में नामनिर्दिष्ट), को देश के सबसे पुराने अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रों में से एक होने का गौरव प्राप्त है और यह अधिसूचना 1945 की है, जब वे तत्कालीन जम्मू और कश्मीर रियासत के महाराजा के खेल विधियों द्वारा शासित थे। और जबकि, 2019 में, इन संरक्षण रक्षितों को, प्रादेशिक वन क्षेत्रों वाले निकटवर्ती क्षेत्रों के साथ, वन्यजीव अभयारण्य में उन्नत किया किया गया था और अभयारण्य ग्रेटर हिमालय पर्वत के बीहड़ और लहरदार भू-भाग पर फैला हुआ है, जो लगभग 155 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है और राज्य सरकार की अधिसूचना संख्यांक एफएसटी/डब्ल्यूएल/07/2018 (एसआरओ-639), तारीख 23 अक्टूबर 2019 के द्वारा अस्तित्व में आया;

और, त्राल वन्यजीव अभयारण्य और आसपास के क्षेत्र कश्मीर लाल हिरण (हंगुल) के वितरण क्षेत्र में आते हैं, जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अनुसार अनुसूची I की प्रजाति है, और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ रेड डाटा बुक में इसे 'गंभीर रूप से संकटग्रस्त' के रूप में नामित किया गया है और हंगुल का वितरण केवल दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान और कुछ आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित है। जबकि त्राल वन्यजीव अभयारण्य दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान के बाहर के कुछ क्षेत्रों में से एक है, जहां इस गंभीर रूप से लुप्तप्राय हिरण की आबादी अभी भी जीवित है और अभयारण्य अन्य महत्वपूर्ण वन्यजीव क्षेत्रों जैसे ओवेरा-अरु वन्यजीव अभयारण्य और ख्रेव संरक्षण संरक्षित से भी जुड़ा हुआ है और ये संरक्षित क्षेत्र मिलकर समृद्ध जैव विविधता का परिदृश्य बनाते हैं और जानवरों, पक्षियों और वनस्पतियों की कुछ महत्वपूर्ण और स्थानिक प्रजातियों की अच्छी आबादी को सहारा देते हैं;

और, त्राल वन्यजीव अभयारण्य कश्मीर लाल हिरण (सर्वस हंगलू हंगलू), कश्मीर कस्तूरी मृग (मोशस क्यूप्रियस) और कश्मीर ग्रे लंगूर (सेमनोपिथेकस अजाक्स) जैसी विभिन्न स्थानिक प्रजातियों का घर है। जबकि अभयारण्य में पाई जाने वाली अन्य दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त प्रजातियाँ आम तेंदुआ (पेंथेरा पार्डस), हिमालयी ग्रिफ़ॉन गिद्ध (जिप्स हिमालयेंसिस), दाढ़ी वाले गिद्ध (जिपेटस बारबेटस) और कश्मीर फ्लाईकैचर (फाइसिडुला सबरूबरा) और त्राल के जंगलों में एकोनिटम हेटरोफिलम, अर्नेबिया बेंथैमी, आर्टेमिसिया एब्सिन्थियम, बर्बेरिस लिशियम, बर्जेनिया सिलियाटा, डाटुरा स्ट्रैमोनियम, डायोस्कोरिया डेल्टोइडिया, लवटेरा कैशमेरियाना, सॉसुरिया कोस्टस और टैक्सस वालिचियाना जैसे महान औषधीय महत्व की कई पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं।

और, त्राल वन्यजीव अभयारण्य जैवभौगोलिक वर्गीकरण के 2ए प्रांत के अधीन आता है जैसा कि रॉजर्स एट अल द्वारा सुझाया गया है। चैंपियन और सेठ (1968) द्वारा वर्गीकरण के अनुसार, अभयारण्य की वनस्पति आम तौर पर हिमालयी नम शीतोष्ण वन, उप-अल्पाइन वन और अल्पाइन वन प्रकार की है और त्राल वन्यजीव अभयारण्य की वनस्पति प्रकार प्रमुख पुष्प प्रजातियों के आवास, रूप और घनत्व द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रमुख वनस्पति निम्न प्रकार हैं:

(1) **नदीय: (1600-2300 मीटर):** इस प्रकार की वनस्पति कम ऊंचाई पर होती है और इसमें एस्कुलस इंडिका, फ्रैक्सिनस हुकेरी, पैरोटिओप्सिस जैक्वेमोंटियाना और जुग्लान्स रेजिया की चौड़ी पत्ती वाली प्रजातियां प्रमुख हैं, प्रमुख झाड़ियों में इंडिगोफेरा हेटेरंथा, लोनिसेरा प्रजातियां, विबर्नम, स्किमिया लॉरेल, जैस्मीनम प्रजातियां आदि शामिल हैं।

(2) **शंकुधारी वन: (2300-3000 मीटर):** इस प्रकार के वनों में ब्लू पाइन (पीनस वालिचियाना) और फर (एबिस पिंड्रो) प्रमुख प्रजातियां हैं, जो स्प्रूस (पिसिया स्मिथियाना) के साथ 2300 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती हैं, वुडलैंड कुछ स्थानों पर नालों के किनारे भी फैले हुए हैं।

(3) **अल्पाइन झाड़ियाँ और चारागाह: (3000-3500 मी):** इस प्रकार के वन में वृक्षविहीन चारागाह होते हैं जिनमें बिखरी हुई झाड़ीदार वनस्पति होती है और बिर्च (बेतुला यूटिलिस) इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख प्रजाति है जो अल्पाइन से जुड़ी वृक्ष रेखा के पास छायादार स्थानों पर जूनिपरस रिकर्वा, रोडोडेंड्रोन प्रजातियां, विबर्नम

प्रजातियां, लोनिसेरा प्रजातियां और प्रिमुला तथा वृक्ष रेखा के ऊपर विस्तृत अल्पाइन घास के मैदान, जिन्हें 'मार्ग' के नाम से जाना जाता है, में बारहमासी जड़ी-बूटियों और घासों की प्रचुर वृद्धि होती है तथा यहां प्रमुख झाड़ी प्रजातियां मायोसोटिस प्रजातियां, साइनोग्लोसम प्रजातियां आदि हैं, कुछ स्थानों पर बेटूला यूटिलिस भी बिखरी हुई पाई जाती है।

(4) चट्टानी सतहें: (3500 मीटर से ऊपर): चट्टानी चट्टानों और पहाड़ी चोटियों पर बौने सदाबहार झाड़ियों का प्रभुत्व है, जिनमें जूनिपरस रिकर्वा, रोडोडेंड्रोन एन्थोपोगोन आदि शामिल हैं, जो जड़ी-बूटियों, स्टैचिस सेरीसिया, सीवरसिया एलाटा और वेरोनिका मेलिसिफोलिया से जुड़ी हुई हैं।

और, त्राल वन्यजीव अभयारण्य हंगुल की आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा बनाता है। पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र की घोषणा से अभयारण्य क्षेत्र के चारों ओर एक बफर बनाने में मदद मिलेगी, जिससे अंतिम बची हुई हंगुल आबादी के लिए एक सुरक्षित, उपयुक्त और व्यवहार्य आवास बन सकेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में त्राल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से शून्य से 3.26 किलोमीटर की सीमा तक के क्षेत्र को त्राल वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन का विस्तार और सीमाएं** -(1) त्राल वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा इसकी सीमा से 0 किलोमीटर से 3.26 किलोमीटर तक है, जिसमें 127.10 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है, जिसमें 26 गांव सम्मिलित हैं और विभिन्न दिशाओं में पारिस्थितिकी संवेदी जोन की विशिष्ट सीमा नीचे दी गई है:

दिशा	विस्तार (किलोमीटर में)	निर्देशांक	
		अक्षांश	देशान्तर
उत्तर (टी22)	0	34° 5' 44.094" उ	75° 8' 31.939" पू
पूर्वोत्तर (टी21)	0	34° 1' 35.515" उ	75° 14' 10.813" पू
पूर्व (टी19)	01	33° 56' 30.547" उ	75° 13' 59.550" पू
दक्षिण पूर्व (ती18)	01.38	33° 49' 0.150" उ	75° 14' 1.532" पू
दक्षिण (टी16)	01	33° 50' 38.734" उ	75° 7' 15.598" पू

दक्षिण पश्चिम (टी15)	01	33° 52' 37.979" उ	75° 5' 0.439" पू
पश्चिम (टी4)	03.26	34° 0' 1.545" उ	75° 1' 0.309" पू
उत्तर पश्चिम (टी2)	01	34° 3' 59.623" उ	75° 2' 18.451" पू

(2) त्राल पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तृत विवरण **उपाबंध-I** में संलग्न है।

(3) त्राल वन्यजीव अभयारण्य सीमा के भू-निर्देशांक के साथ-साथ विभिन्न दिशाओं में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा विवरण **उपाबंध-Ia** के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मानचित्र, सीमा विवरण सहित, **उपाबंध**-II से **उपाबंध-II च** में संलग्न हैं।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले गांवों की सूची और जनसांख्यिकी स्वरूप क्रमशः **उपाबंध-III** और **उपाबंध-IV** में संलग्न है।

(6) त्राल वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाने वाले स्तनधारियों और पक्षियों की सूची **उपाबंध-V** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) संघ राज्य क्षेत्र सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और संघ राज्य क्षेत्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना, ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है, के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और संघ राज्य क्षेत्र विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हों, के अनुरुप तैयार की जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय तथ्यों को समाकलित करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी: -

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीवन;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(x) नगर पालिका;

(xi) पंचायती राज; और

(xii) लोक निर्माण विभाग ।

4) आंचलिक महायोजना के अधीन अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं किया जाएगा जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना, सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी।

IndiaCode

(5) आचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल स्रोतो के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन किया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और पैरा 4 में सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना, प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।

3. जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किए जाने वाले उपाय.- संघ राज्य क्षेत्र सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्: -

(1) भू-उपयोग. – (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों सहित, का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर उपर्युक्त भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग सहित ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं जिसके अंतर्गत गृह वास सम्मिलित; और

(v) पैरा-4 के अधीन दिए गए दिए गए संबद्ध विनियमित क्रियाकलाप और संवर्धित क्रियाकलापः

परंतु यह और कि संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अनुमोदन के बिना और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की

IndiaCode

मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, जिसका अनुपालन क्षेत्रीय नगर नियोजन अधिनियम और अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि के उपयोग की अनुज्ञा नहीं होगी:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आने वाली भूमि के अभिलेखों में उपसंज्ञात किसी त्रुटि को, मॉनीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जा सकेगा और उक्त त्रुटि को सुधारे जाने की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

(ख) वनरोपण और आवास पुनर्स्थापन क्रियाकलापों के माध्यम से अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों को पुनः वनरोपण करने का प्रयास किया जाएगा।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत और झरने – (1) आंचलिक महायोजना में आने वाले सभी प्राकृतिक झरनों या नदियों या आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण की योजना सम्मिलित की जाएगी और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा जल आवाह प्रबंधन योजना ऐसी रीति से बनाई जाएगी कि उसमें आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो ।

(2) भूजल का दोहन केवल भूमि के स्वामी या अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू उपभोग के लिए ही किया जाएगा। किसी भी वाणिज्यिक या कृषि या पशुधन संचालन से जल स्रोत के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।

(3) पर्यटन या पारि-पर्यटन- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारि-पर्यटन, क्रियाकलापों या विद्यामान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा;

(ख) पर्यटन महायोजना को राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा तैयार किया जाएगा;

(ग) पारिस्थितिकी-पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का ही एक घटक होगा और यह पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन के आधार पर तैयार किया जाएगा

(घ) पारिस्थितिकी-पर्यटन की गतिविधि का विनियमन निम्नानुसार किया जाएगा, अर्थात्: -

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें से जो भी समीप हो, नए होटलों और रिसॉर्ट्स के किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

परन्तु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से दूर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, नए होटलों और रिसॉर्ट्स की स्थापना की अनुमति केवल पारिस्थितिकी-पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी-पर्यटन सुविधाओं के लिए और अभिहित क्षेत्रों में ही किये जाने के लिए की जाएगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नई पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार वर्ष 2018 में केंद्रीय सरकार और पारि-पर्यटन द्वारा जारी मार्ग दर्शक सिद्धांतों और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण

प्राधिकरण द्वारा जारी पारि-पर्यटन मार्ग दर्शक सिद्धांतों (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार होगा, जिसमें पारि-पर्यटन, पारि-शिक्षा और पारि-विकास पर जोर दिया जाएगा;

(iii) जब तक आंचलिक महायोजना को अनुमोदित नहीं कर दिया जाता है, तब तक पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार की कोई अनुमति संबंधित नियामक प्राधिकरणों द्वारा तथा वास्तविक स्थल-विशिष्ट जांच और निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर दी जाएगी।

(4) नैसर्गिक विरासत.– पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बहुमूल्य नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा और,,, संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) ध्वनि प्रदूषण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अनुसार, यथा संशोधित अनुपालन किया जाएंगा।

(7) वायु प्रदूषण. - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14), और पर्यावरण अधिनियम तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) अपशिष्टों का निर्वहन- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में शोधित अपशिष्टों का निर्वहन और जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इन अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन होगा।

(9) ठोस अपशिष्ट. - ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार किया जाएगा और अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर अभिज्ञात किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट के निरापद और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट. - जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान, समय-समय पर यथा संशोधित, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन (इएसएम) अनुज्ञात किया जा सकेगा।

IndiaCode

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन. – पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, समय-समय पर यथा संशोधित, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.- पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, समय-समय पर यथा संशोधित, संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) ई–अपशिष्ट.- पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित, समय-समय पर यथा संशोधित, ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) यानीय गतिविधियां-यातायात.- यातायात यानीय गतिविधियों को पर्यावास-अनुकूल रीति से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मॉनीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय-यातायात के अनुपालन को मॉनीटरी करेगी।

(15) यानीय जनित प्रदूषण. – यानीय प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छ ईंधन जैसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) औद्योगिक ईकाइयां. – राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात्,

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा।

(ग) गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण. - पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर प्रतिसिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलाप.-

पारिस्थितिकी-संवेदी ज़ोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों, उसके अधीन बनाए गए नियमों और केंद्रीय सरकार की अन्य अधिसूचनाओं, विधियों और अधिनियमों, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय में पर्यावरण, वन और वन्यजीव से संबंधित अधिसूचना, संख्यांक 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में तत्समय प्रवृत्त विधियों द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित, शासित होंगे, अर्थात्:

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणियां (3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, वाणिज्यिक उत्खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां ।	(क) पारिस्थितिकी-संवेदी ज़ोन के भीतर घरों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई सहित वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के सिवाय सभी नए और विद्यमान (लघु और प्रमुख खनिज), पत्थर उत्खनन और उनके तोड़ने की इकाइयों को तत्काल प्रभाव से प्रतिसिद्ध किया जाता है। (ख) खनन प्रचालन माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सि.) सं. 1995 का 202 में टी. एन. गौडावर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ और रिट याचिका (सि.) सं. 2012 का 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भर संघ और आई.ए. सं. 2003 का 1000 में तारीख 03.06.2022 के निर्माण और तत्पश्यात् आई.ए. सं. 2022 का 131377 में तारीख 26.04.2023 और 28.04.2023 के निर्णय के मामले में आदेशों के अनुसार किया जाएगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगीः परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	प्रमुख जलविद्युत परियोजना की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित अपशिष्टों का निर्वहन।	प्रतिषिद्ध।
6.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस तथा जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए सामान्य भस्मीकरण	पारिस्थितिकी- संवेदी जोन के भीतर किसी भी नए ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और अपशिष्ट उपचार या ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, और औद्योगिक प्रक्रिया और

	सुविधा की स्थापना।	स्वास्थ्य स्थापनाओं, अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत भस्मीकरण सुविधा की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।
7.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
8.	ईंट भट्टों की स्थापना।	प्रतिसिद्ध।
9.	फर्मों, कंपनियों, कॉरपोरेट्स द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और मुर्गी फार्मों इत्यादि की स्थापना।	प्रतिसिद्ध। परन्तु स्थानीय किसानों द्वारा अपनी आजीविका के लिए छोटे पैमाने पर मुर्गी फार्म स्थापित किए जा सकें।
10.	नव काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर किसी भी नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी: परन्तु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार जारी रह सकें और विद्यमान आरा मिलों के अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण उनकी समाप्ति पर नहीं किया जाएगा।
11.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलापों जैसे वायुयान, गर्म वायु गुब्बारे, हेलिकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि द्वारा संरक्षित क्षेत्र और पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ने के क्रियाकलाप करना।	प्रतिषिद्ध। तथापि, वन विभाग गैर- वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए वृत्तचित्र बनाने के लिए वन, पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण पर जागरूकता पैदा करने के लिए ड्रोन का उपयोग कर सकेगा।
12.	विदेशी प्रजातियों का समावेशन।	प्रतिषिद्ध।
13.	जलाऊ लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
14.	किसी भी खतरनाक पदार्थ का उपयोग, उत्पादन या प्रसंस्करण ।	प्रतिषिद्ध।
	ख.विनियमित क्रियाकलाप	
15.	वाणिज्यिक होटलों और रिसॉर्ट्स की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिर्सोटो को स्थापना

IndiaCode

		अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या सभी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप होगा ।
16.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी: (ख) परंतु, स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भवन उपविधियों के अनुसार पैरा 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित स्थानीय लोगों को उनके उपयोग के लिए अपनी भूमि पर संनिर्माण करने की अनुज्ञा दी जाएगी: (ग) एक किलो मीटर के परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
17.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी समय-समय पर संशोधित उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अपनी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
18.	वृक्षों की कटाई ।	(क) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगें।
19.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
20.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा और भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
21.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार शमन उपायों के साथ किया जाएगा
22.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नए सड़कों	लागू विधियों, नियमों और विनियमन तथा मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार शमन उपायों के साथ किया जाएगा। विद्यमान सड़कों को

IndiaCode

	का निर्माण।	मजबूत बनाने का काम उचित पर्यावरणीय समाघात निर्धारण (राज्य वन विभाग और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करते हुए) और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शक सिद्धांतों "वन्यजीवों पर रैखिक अवसंरचना के प्रभावों को कम करने के लिए पर्यावरण अनुकूल उपाय" के अनुसार शमन उपायों के साथ किया जाएगा।
23.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगें।
24.	रात्रि में यानीय यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए विनियमित।
25.	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का जल निकायों में निस्सारण नहीं होने दिया जायेगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे, अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
26.	सतही और भूजल का व्यावसायिक निष्कर्षण।	(क) सतही जल और भूजल के निष्कर्षण की अनुमति केवल वास्तविक कृषि उपयोग और भूमि के अधिभोगी या स्वामी के घरेलू उपभोग के लिए दी जाएगी। (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही जल और भूजल का निष्कर्षण, जिसमें निकाली जा सकने वाली मात्रा भी सम्मिलित है, के लिए संबंधित नियामक प्राधिकरण से पूर्व अनुमति और अनुमोदित मास्टर प्लान के अनुसार अनुमति की आवश्यकता होगी। ग) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर किसी भी स्थान पर सतही जल या भूजल की बिक्री प्रतिसिद्ध है।
27.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुला कुआँ, बोरवेल आदि।	सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की कड़ाई से निगरानी और विनियमित की जानी चाहिए। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कुओं को ढकने का उपाय किया जाएगा।
28.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
29.	पारिस्थितिकी- पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
30.	वाणिज्यिक पशुधन और मुर्गीपालन फार्मों की स्थापना।	स्थानीय किसानों द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन की उचित उपायों के साथ लागू विधियों के अनुरूप विनियमित।
31.	पॉलीथिन/ प्लास्टिक बैग का प्रयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित, जहां कैरी बैग की मोटाई 120 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए और नॉनवोवन प्लास्टिक कैरी बैग

IndiaCode

		60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (जीएसएम) से कम नहीं होगा।
ग.संवर्धित क्रियाकलाप		
32.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा ईंधन का प्रयोग ।	जैविक गैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति.- केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिसूचना के उपबंधों के प्रभावी निगरानी के लिए, एक निगरानी समिति का गठन किया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हैं, अर्थात्:-

1.	कलेक्टर/उपायुक्त, पुलवामा	अध्यक्ष, पदेन;
2.	क्षेत्रीय अधिकारी, जम्मू और कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य, पदेन;
3.	वन्यजीव/पर्यावरण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
4.	पारिस्थितिकी और पर्यावरण में एक विशेषज्ञ को जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा	सदस्य;

IndiaCode

	समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	
5.	प्रभागीय वन अधिकारी, अवंतीपोरा	सदस्य, पदेन;
6.	वन्यजीव संरक्षक, शोपियाँ मण्डल	सदस्य–सचिव, पदेन'।

6. निगरानी समिति के कार्य. – निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी:

(1) निगरानी समिति, वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर, उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में दी गई हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में की जा रही हैं, इसके पैरा 4 की सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए, यथा स्थिति, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को संदर्भित की जा रही हो।

(2) जो क्रियाकलाप भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में न आती हों और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में की जा रही हों, इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिसिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, की संवीक्षा निगरानी समिति द्वारा वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर की जाएंगी और उससे संबंधित नियामक प्राधिकरणों को संदर्भित किया जाएगा।

(3) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक, इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।

(4) निगरानी समिति मामले दर मामले के आधार पर आवश्यकतानुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों या संबंधित पणधारियों के प्रतिनिधि को आमंत्रित कर सकती है।

(5) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक की अवधि की अपनी क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उसी वर्ष 30 जून तक इस अधिसूचना में संलग्न **उपाबंध-VI** में विनिर्दिष्ट प्ररुप में राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को प्रस्तुत करेगी।

(6) केन्द्रीय सरकार, निगरानी समिति को उनके कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए जो ठीक समझे, लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सकेगी।

7. **अतिरिक्त उपाय.-** केन्द्रीय सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

8. **उच्चतम न्यायालय, आदि आदेश. -** इस अधिसूचना के उपाबंध, यदि कोई हों, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित या पारित किए जाने वाले आदेशों के अधीन होंगे।

उपाबंध-I

त्राल वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा विवरण

बिंदु	अक्षांश	देशान्तर	विवरण
टी10	34° 2' 44.631" उ	75° 7' 51.141" पूर्व	वन परिसर 20एन
टी11	34° 2' 58.543" उ	75° 9' 41.344" पूर्व	सीओ 21/ त्राल वन क्षेत्र, पम्बाच खोड़
टी12	34° 1' 27.882" उ	75° 10' 49.018" पूर्व	सीओ 14/ त्राल वन क्षेत्र
टी14	33° 57' 32.762" उ	75° 8' 52.391" पूर्व	खलील गांव
टी17	33° 52' 21.670" उ	75° 10' 33.610" पूर्व	खिरम बंजर भूमि
टी18	33° 49' 0.150" उ	75° 14' 1.532" पूर्व	गुंड-ए-सिलिगोम लिद्दर नाला
टी22	34° 5' 44.094" उ	75° 8' 31.939" पूर्व	दाचीगाम एनपी सीमा
टी24	34° 5' 43.526" उ	75° 2' 16.668" पूर्व	दाचीगाम एनपी सीमा
टी1	34° 4' 51.714" उ	75° 1' 49.955" पूर्व	बुर्जावास वन
टी23	34° 6' 25.798" उ	75° 3' 48.277" पूर्व	दाचीगाम एनपी सीमा
टी21	34° 1' 35.515" उ	75° 14' 10.813" पूर्व	ओवेरा-अरु वन्यजीव अभयारण्य सीमा
टी -20	33° 57' 8.040" उ	75° 13' 32.532" पूर्व	ओवेरा डब्ल्यूएलएस सीमा
टी19	33° 56' 30.547" उ	75° 13' 59.550" पूर्व	कोलूर वन
टी16	33° 50' 38.734" उ	75° 7' 15.598" पूर्व	ओपन स्क्रब शालागुल
टी15	33° 52' 37.979" उ	75° 5' 0.439" पूर्व	स्क्रब एरिया बट्स
टी13	33° 59' 32.259" उ	75° 11' 11.704" पूर्व	निशात सी.आर.
टी7	33° 58' 50.663" उ	75° 5' 1.870" पूर्व	हुंडुर रोड
टी -4	34° 0' 1.545" उ	75° 1' 0.309" पूर्व	खुला स्क्रब वुस्टरवान
टी2	34° 3' 59.623" उ	75° 2' 18.451" पूर्व	नागंदर वन
टी3	34° 1' 32.777" उ	75° 1' 41.557" पूर्व	बादलाओ खेव सी.आर. सीमा
टी6	33° 57' 50.300" उ	75° 2' 12.931" पूर्व	खेव सी.आर. सीमा
टी8	34° 1' 14.497" उ	75° 4' 34.556" पूर्व	खानगुंड
टी9	34° 2' 24.485" उ	75° 4' 40.473" पूर्व	गुटुरु गांव
टी5	33° 59' 4.160" उ	75° 0' 10.787" पूर्व	गोसाईं ओपन स्क्रब

indiaCode

उपाबंध-I क

विभिन्न दिशाओं में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा विवरण

दिशा	सीमा विवरण	पीए सीमा से दूरी (किमी में)	भू-निर्देशांक	
			अक्षांश	देशान्तर
उत्तर	दाचीगाम एनपी सीमा	0	34° 5' 44.094" उ	75° 8' 31.939" पू
उत्तर-पूर्व	ओवेरा-अरु वन्यजीव अभयारण्य सीमा	0	34° 1' 35.515" उ	75° 14' 10.813" पू
पूर्व	कोलूर वन	01	33° 56' 30.547" उ	75° 13' 59.550" पू
दक्षिण-पूर्व	गुंड-ए-सिलिगोम , लिद्दर नाला	01.38	33° 49' 0.150" उ	75° 14' 1.532" पू
दक्षिण	शालगुल	01	33° 50' 38.734" उ	75° 7' 15.598" पू
दक्षिण-पश्चिम	बुट्स	01	33° 52' 37.979" उ	75° 5' 0.439" पू
पश्चिम	वुस्टरवान	03.26	34° 0' 1.545" उ	75° 1' 0.309" पू
उत्तर-पश्चिम	नागंदर वन	01	34° 3' 59.623" उ	75° 2' 18.451" पू

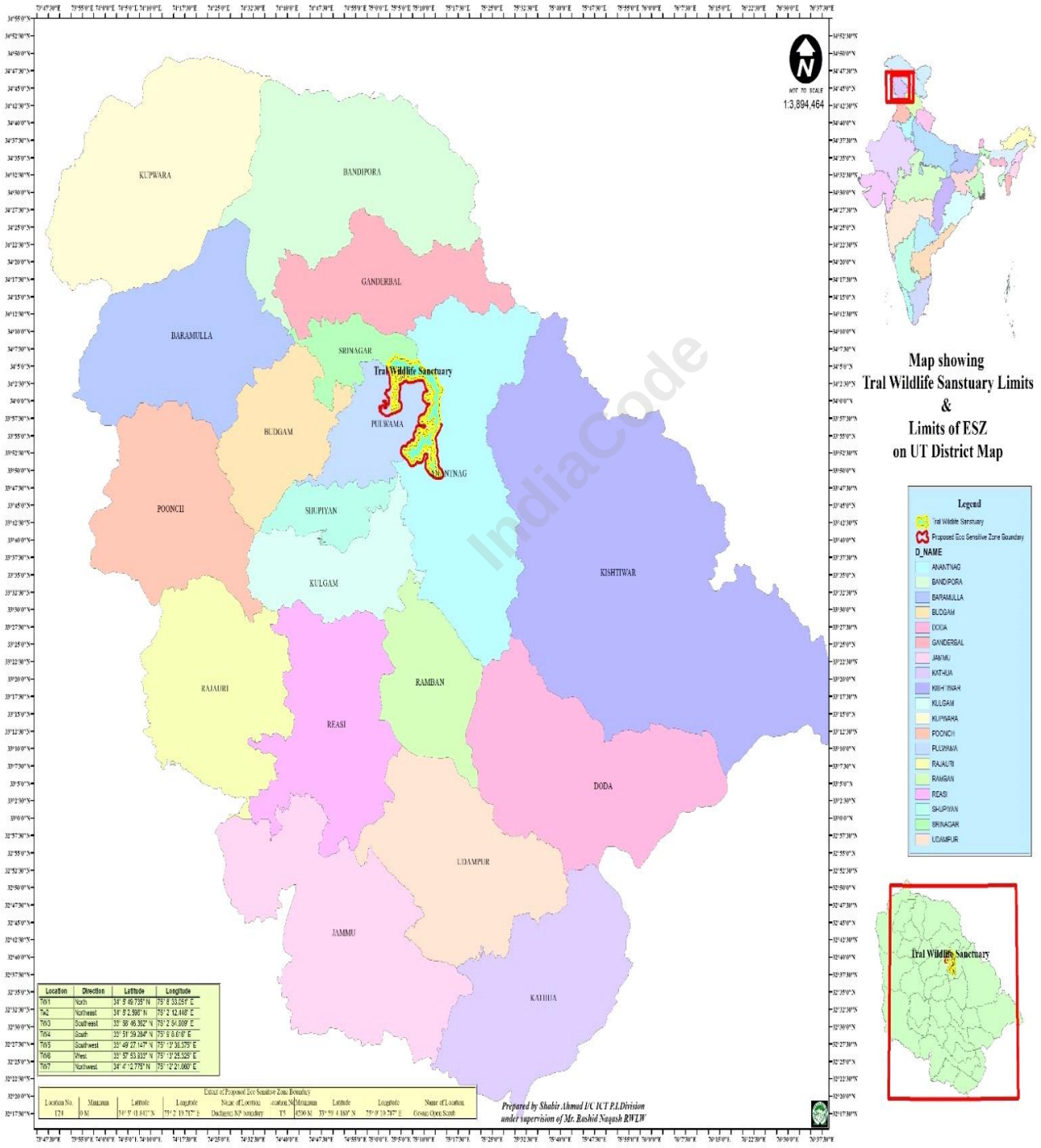
त्राल वन्यजीव अभयारण्य सीमा के भू-निर्देशांक

दिशा	स्थान	भू-निर्देशांक	
		अक्षांश	देशान्तर
उत्तर	गगयारी	34° 06' 35.809" उ	75° 03' 42.376" पू
पूर्वोत्तर	वेहा गुल	34° 04' 10.313" उ	75° 12' 15.215" पू
पूर्व	गंडापाथर	34° 01' 17.364" उ	75° 14' 00.051" पू
दक्षिण पूर्व	त्सुरु पैंटसल	33° 57' 17.826" उ	75° 13' 36.699" पू
दक्षिण	अशदर	33° 49' 25.897" उ	75° 13' 37.829" पू
दक्षिण-पश्चिम	कमला	33° 52' 44.508" उ	75° 05' 35.923" पू
पश्चिम	ज़म्पाथर	34° 00' 27.029" उ	75° 10' 20.771" पू

IndiaCode

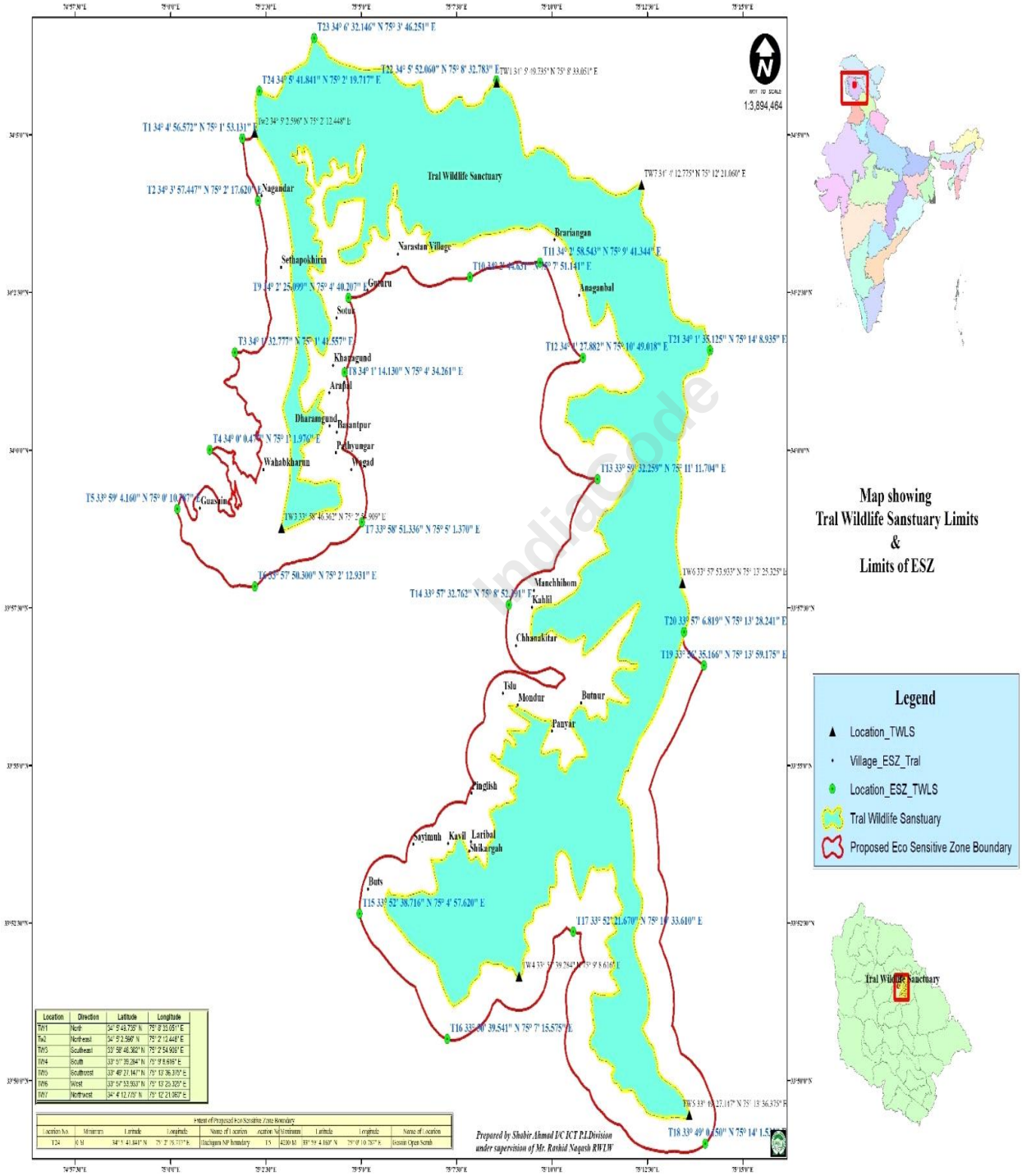
उपाबंध- II

प्रमुख स्थान के अक्षांश और देशांतर के साथ त्राल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का स्थान मानचित्र



उपाबंध-IIक

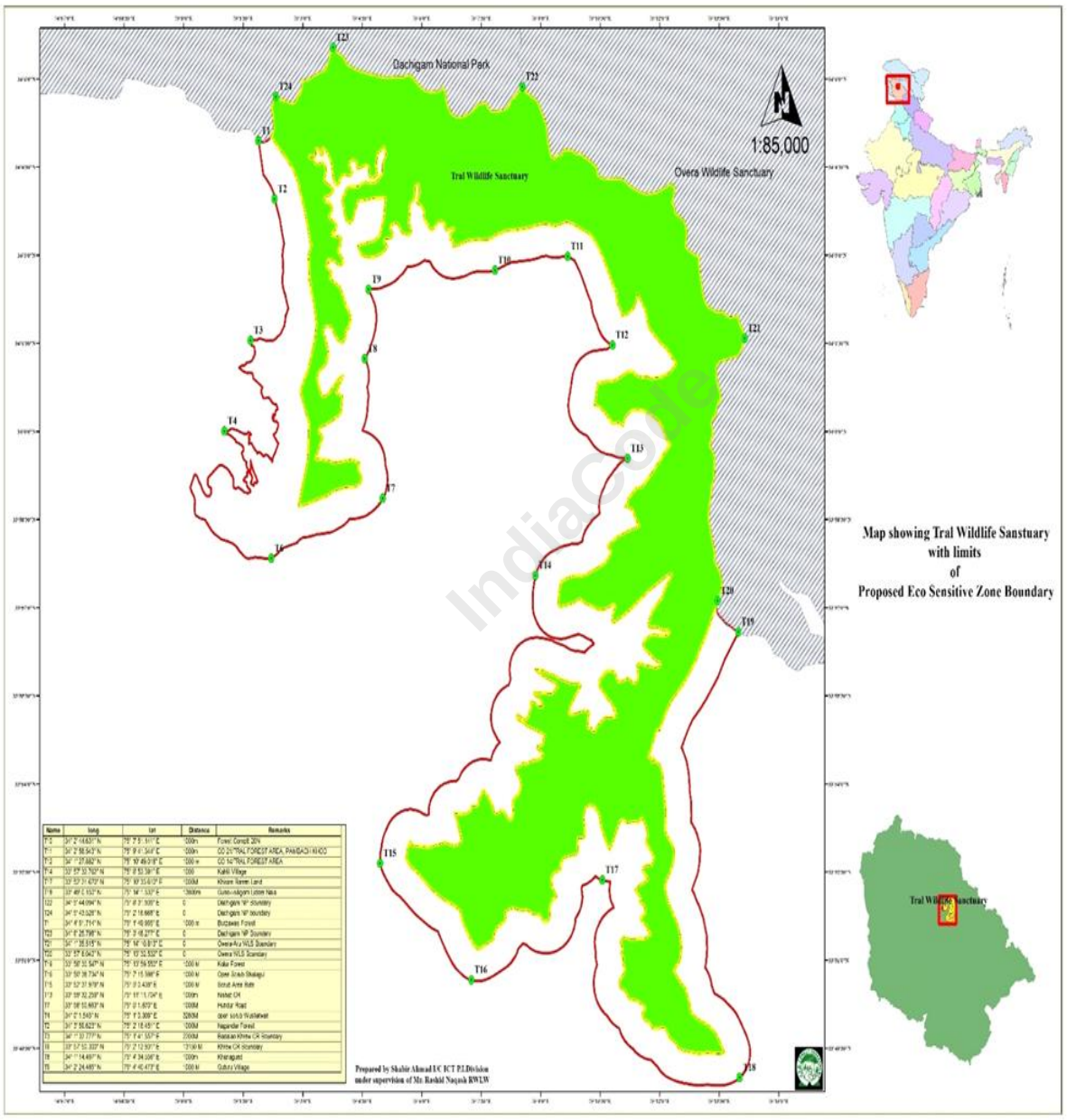
प्रमुख स्थानों के भू-निर्देशांक के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



Map showing
Tral Wildlife Sanstuary Limits
&
Limits of ESZ

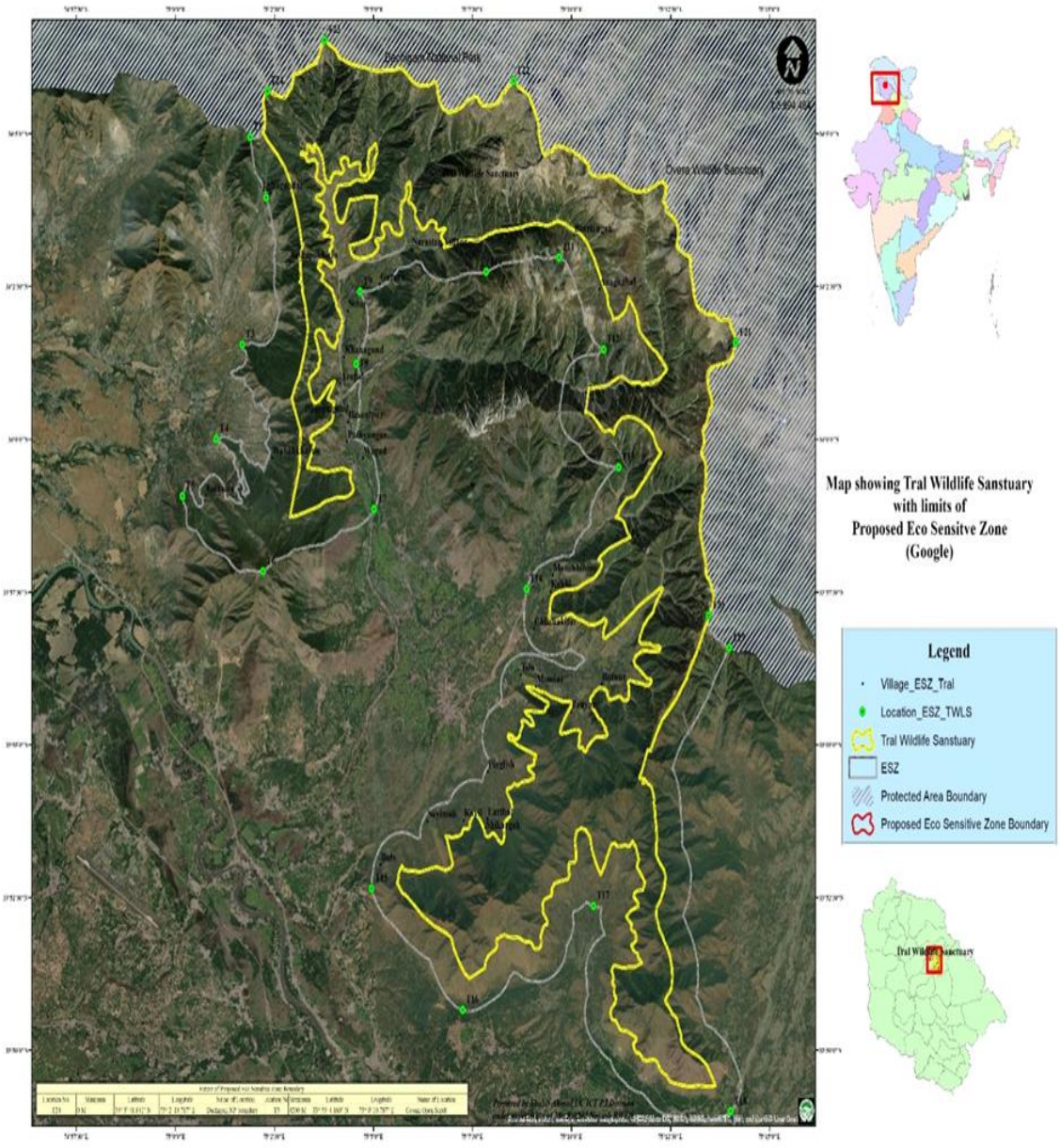
उपाबंध-IIख

प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांक और सीमा विवरण के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



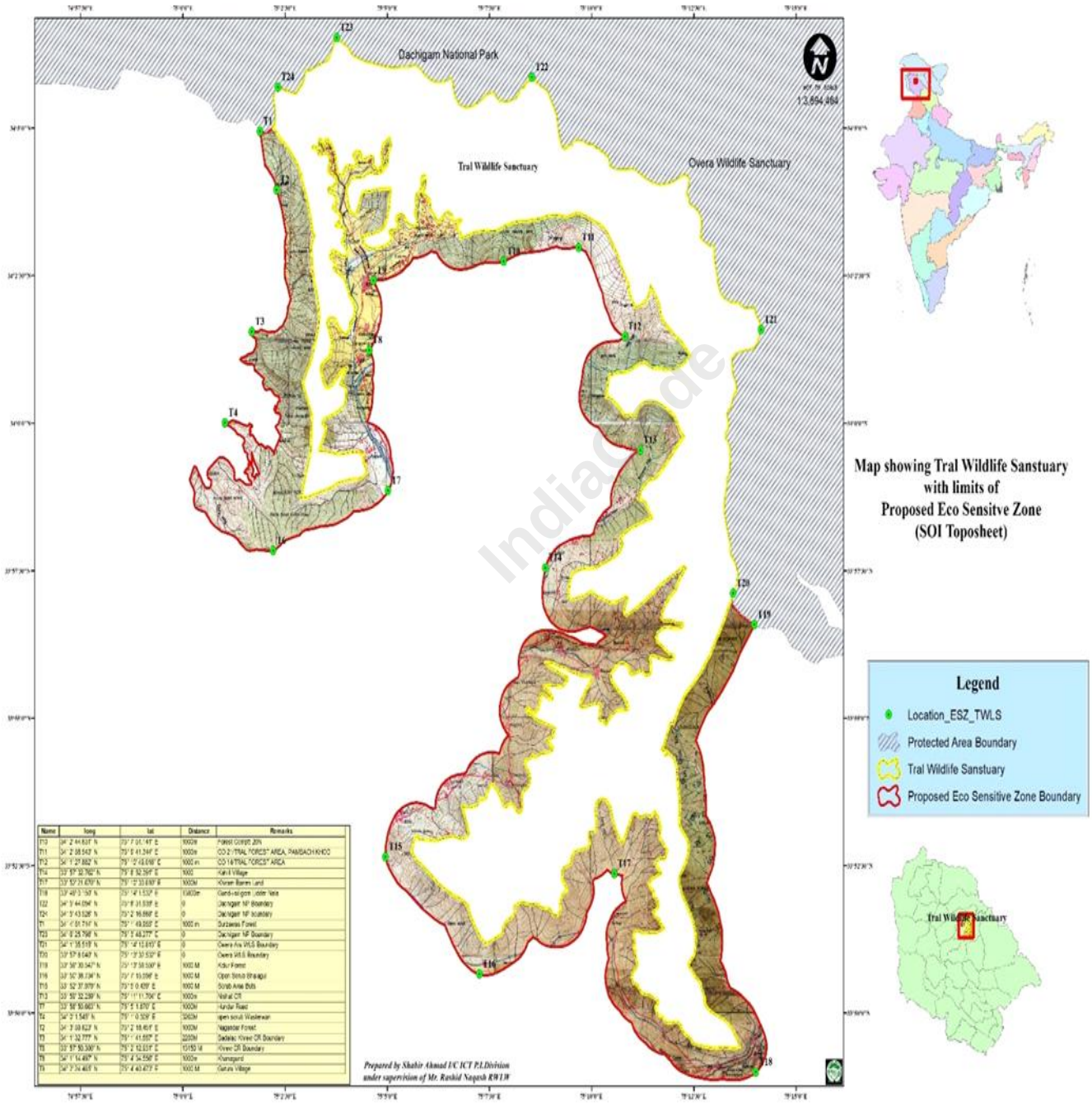
उपाबंध-IIग

गूगल अर्थ मानचित्र पर त्राल वन्यजीव अभयारण्य की सीमाएं और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के साथ-साथ प्रमुख बदु दर्शाए गए हैं



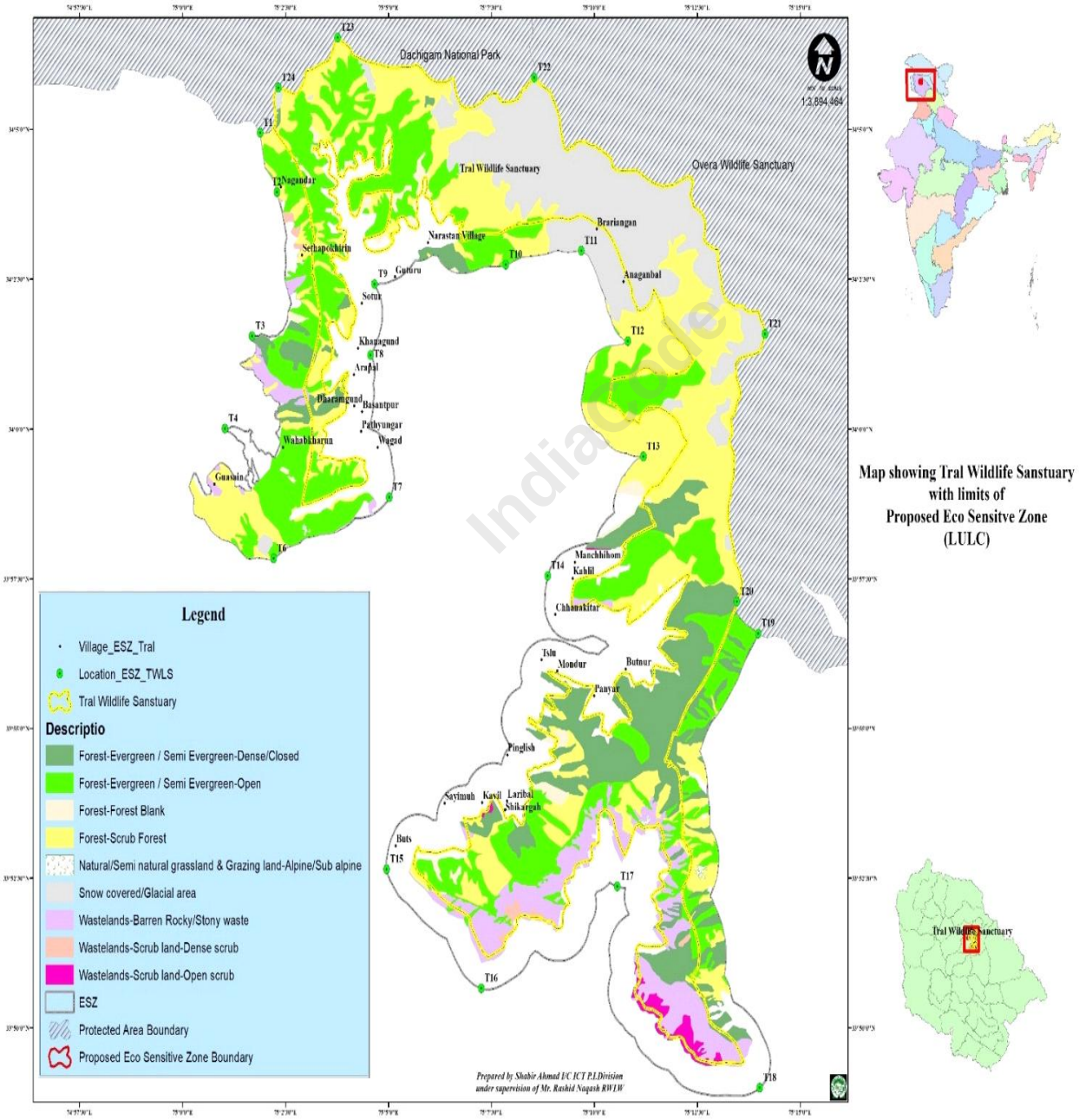
उपाबंध-IIघ

प्रमुख बिन्दुओं के भू-निर्देशांक के साथ-साथ त्राल वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का टोपोशीट मानचित्र



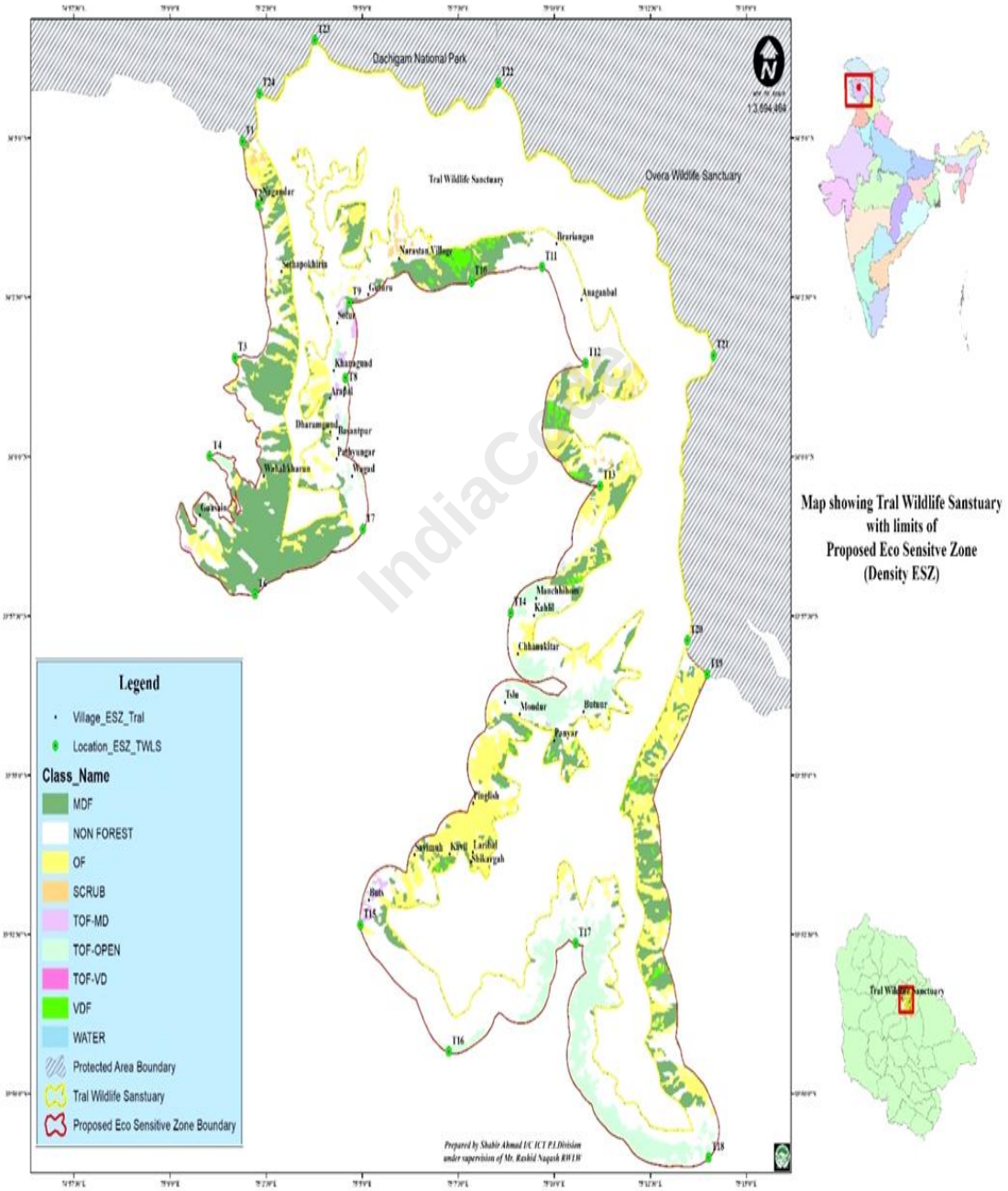
उपाबंध-II ड.

त्राल वन्यजीव अभयारण्य और उसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भूमि उपयोग भूमि कवर मानचित्र



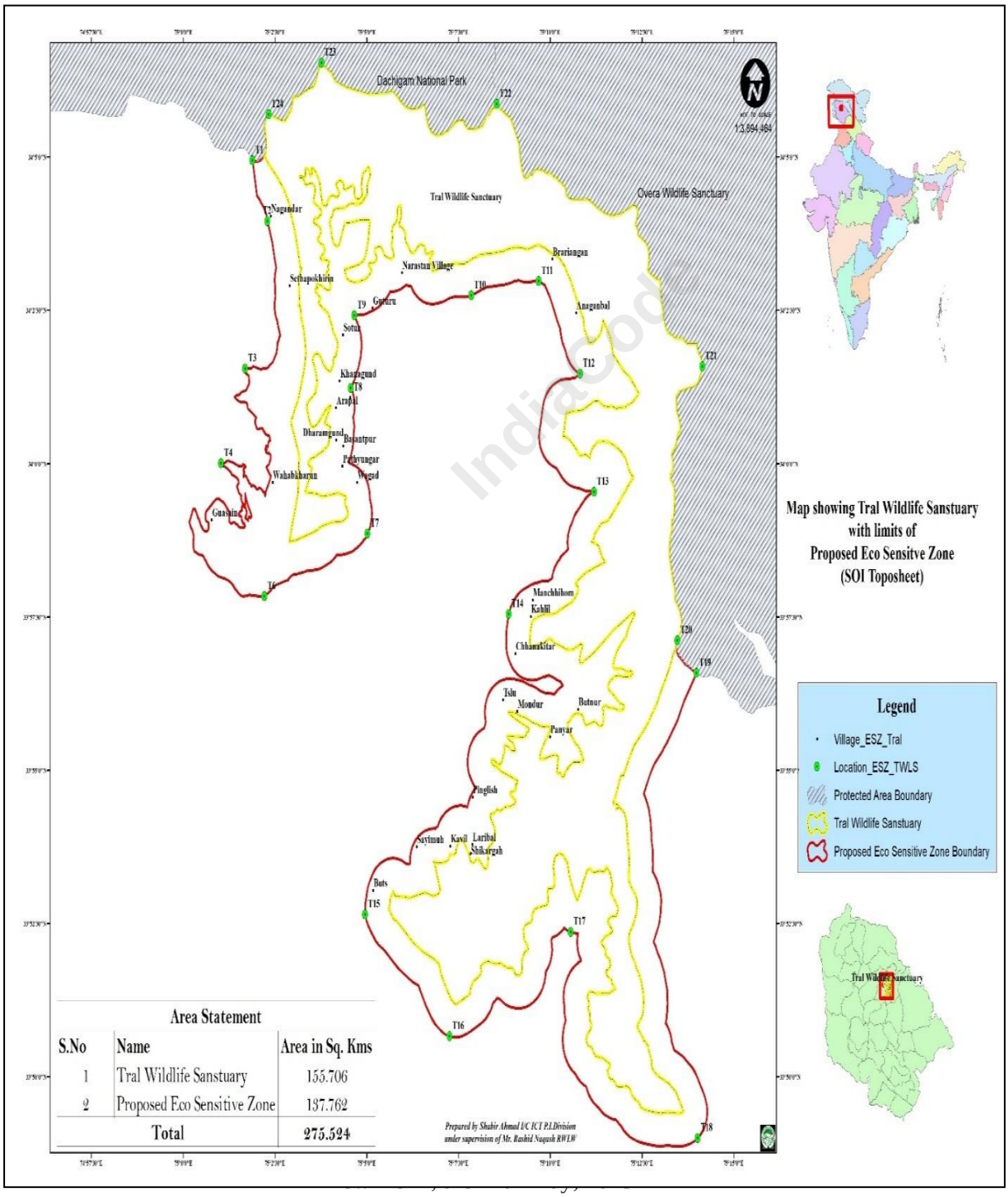
उपाबंध-IIच

त्राल वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का वन प्रकार मानचित्र



उपाबंध-II छ

त्राल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर पड़ने वाले गांवों की अवस्थिति



उपाबंध-III

क्षेत्र के अंदर आने वाले गांवों की सूची और भू-निर्देशांक

क्र.सं.	गाँव	ज़िला	तहसील	अक्षांश (उत्तर)	देशांतर (पूर्व)
01	नागंदर	पुलवामा	पंपोर	34° 2'54.93"	75° 2'47.27"
02	सेठपोखरण	पुलवामा	पंपोर	34° 0'49.30"	75° 1'40.98"
03	वहाबख़ारूण	पुलवामा	पंपोर	33°59'42.79"	75° 1'58.61"
04	वागड़	पुलवामा	अरिपाल	33°59'51.31	75° 4'50.89
05	बसंतपुर	पुलवामा	अरिपाल	34° 0'11.92"	75° 4'45.29"
06	धरमगुंड	पुलवामा	अरिपाल	33°59'53.16"	75° 4'49.24"
07	अरिपाल	पुलवामा	अरिपाल	34° 1'2.32"	75° 4'15.47"
08	खानगुंड	पुलवामा	अरिपाल	34° 1'35.64"	75° 4'23.29"
09	सतुरा	पुलवामा	अरिपाल	34° 2'23.46"	75° 4'26.89"
10	गुटुरू	पुलवामा	अरिपाल	34° 2'43.11"	75° 5'27.26"
11	नरास्तान	पुलवामा	अरिपाल	34° 3'18.62"	75° 6'0.80"
12	मंचिहामा	पुलवामा	त्राल	33°57'43.77"	75° 9'44.87"
13	खलील	पुलवामा	त्राल	33°57'45.11"	75° 9'2.45"
14	छनाकीतार	पुलवामा	त्राल	33°57'4.04"	75° 9'11.67"
15	चेवा उल्लुर	पुलवामा	त्राल	33°56'20.51"	75° 8'52.36"
16	बथनूर	पुलवामा	त्राल	33°56'11.05"	75°10'50.02"
17	मोंडुरा	पुलवामा	त्राल	33°56'2.14"	75° 9'10.01"
18	पन्नियर	पुलवामा	त्राल	33°55'41.85"	75°10'5.10"
19	पिंगलिश	पुलवामा	त्राल	33°54'46.03"	75° 7'46.13"
20	लारिबाल	पुलवामा	त्राल	33°54'6.73"	75° 8'0.96"
21	शिकारगाह	पुलवामा	त्राल	33°53'51.50"	75° 7'58.10"
22	सैमूह	पुलवामा	त्राल	33°53'41.39"	75° 6'26.50"
23	बुचू	पुलवामा	त्राल	33°53'17.44"	75° 5'21.99"

IndiaCode

24	संगनार	अनंतनाग	सालार	33°53'16.42"	75° 10'08.79"
25	पनार	अनंतनाग	सालार	33°53' 14.22"	75° 11'16.57"
26	साखरा	अनंतनाग	श्रीगुफवाड़ा	33°49' 4.82"	75° 13'16.51"

उपाबंध-IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर आने वाले गांवों का जनसांख्यिकीय पैटर्न

क्र.सं.	गाँव	कुल	एसटी/एससी	पुरुष	महिला	बच्चे (0-6)
01	नागंदर	434	00.00	204	147	83
02	सेठपोखरण	1651	183	651	691	309
03	वहाबख़ारूण	675	125	300	280	95
04	वागड़	1356	0.00	566	566	224
05	बसंतपुर	1132	0.00	590	542	ना
06	धरमगुंड	586	0.00	274	241	71
07	अरिपाल	2159	1	1671	471	117
08	खानगुंड	1765	0.00	808	780	177
09	सतुरा	3429	832	1462	1458	509
10	गुटुरू	1376	496	571	577	228
11	नरास्तान	1356	0.00	689	667	ना
12	मंचिहामा	3510	0.00	1817	1693	ना
१३	खलील	4674	0.00	2410	2264	ना
14	छनाकीतार	635	00.00	336	299	ना
15	त्सुलु	1378	0.00	687	691	ना
16	बथनूर	3517	589	1131	1031	355
17	मोंडारा	2068	5	885	913	270
18	पन्नियर	253	ना	ना	ना	ना
19	पिंगलिश	2869	0.00	1251	1280	338
20	लारिबाल	829	0.00	319	308	101
21	शिकारगाह	996	0.00	439	443	114

IndiaCode

22	सैमूह	3111	0.00	1470	1310	331
23	संगनार	2057	777	904	772	381
22	पनार	905	ना	ना	ना	ना
25	अशदर	750	ना	ना	ना	ना
26	साखरा	1819	0.00	791	821	207

त्राल वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भीतर 26 बड़े/राजस्व गांव हैं, जिनकी अनुमानित मानव जनसंख्या लगभग 45000 है। 2011 की जनगणना/संबंधित चौकीदार की रिपोर्ट के अनुसार गांव-वार जनसंख्या निम्नानुसार है:

कृषि (मुख्यतः बागवानी) इन गांवों में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय और आय का स्रोत है।

उपाबंध-V

त्राल वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाने वाले स्तनधारियों और पक्षियों की सूची

(क) जीवजंतु

त्राल वन्यजीव अभयारण्य और आस-पास के क्षेत्रों में स्तनधारियों की लगभग 15 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें कुछ दुर्लभ प्रजातियाँ भी शामिल हैं और इन स्तनधारी प्रजातियों में शामिल हैं:

1. कश्मीरी लाल हिरण *(सर्वस हांगलू हांगलू)*
2. कश्मीर कस्तूरी मृग (*मॉस्कस क्यूप्रियस*)
3. एशियाई काला भालू (*उर्सस थिबेटानस*)
4. हिमालयन भूरा भालू (*उर्सस आर्कटोस*)
5. सामान्य तेंदुआ (*पैंथेरा पार्डस*)
6. तेंदुआ बिल्ली (*प्रियोनैलुरस बंगालेंसिस*)
7. जंगली बिल्ली (*फेलिस चौस*)
8. लाल लोमड़ी (*वुलपेस वल्पेस*)
9. साइबेरियन वीज़ल (*मस्टेला सिबिरिका*)
10. तिब्बती भेड़िया (*कैनिस ल्यूपस*)

IndiaCode

11. गोल्डन जैकल (*कैनिस ऑरियस*)

12. पीले गले वाला मार्टन (*मार्टेस फ्लेविगुला*)

13. कश्मीर ग्रे लंगूर (*सेम्नोपिथेकस अजाक्स*)

14. रीसस मैकाक (*मकाका मुलाट्टा*)

15. भारतीय क्रेस्टेड साही (*हिस्ट्रिक्स इंडिका*)

(ख) पक्षी:

अभयारण्य और इसके आसपास के क्षेत्र में 200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियों पाई जाती हैं, जिनमें प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं:

1. गोल्डन ईगल (*एक्विला क्रिस्टोस*)

2. बेयर्डेड गिद्ध (*जिपेटस बार्बेटस*)

3. हिमालयन ग्रिफ़ॉन गिद्ध (*जिप्स हिमालयनसिस*)

4. कश्मीर फ्लाईकैचर (*फिसेड्युला सुबरूबरा*)

5. ब्लैक-थ्रोएटेड एक्सेन्टोर (*प्रुनेला एट्रोगुलरिस*)

6. ऑरेंज बुलफिंच (*पाइरहुला ऑरेंटियाका*)

7. कश्मीर नटहैच (*सिट्टा कैशमिरेन्सिस*)

8. चेस्टनट थ्रश (*टर्डस रूब्रोकैनस*)

9. कॉमन रोज़फिंच (*कार्पोडाकस एरिथ्रिनस*)

10. यूरोपीय रोलर (*कोरासियस गैरुलस*)

11. यूरोपीय बी-ईटर (*मेरॉप्स एपीयास्टर*)

12. चेस्टनट-ईयर्ड बंटिंग (*एम्बेरिज़ा फ्यूकाटा*)

13. पाइन बंटिंग (*एम्बेरिज़ा ल्यूकोसेफालोस*)

14. रॉक बंटिंग (*एम्बेरिज़ा सीआ*)

IndiaCode

15. काला और पीला ग्रोसबीक (*माइसेरोबास इक्टेरियोइड्स*)

उपाबंध-VI

की गई कार्रवाई रिपोर्ट का प्रारूप:

1. बैठकों की संख्या और तिथि।
2. बैठक के कार्यवृत्त: मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें। बैठक के कार्यवृत्त को अलग उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
3. पर्यटन आंचलिक महायोजना सहित क्षेत्रीय आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भूमि अभिलेख में स्पष्ट त्रुटि के सुधार के लिए निपटाए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अनुसार)। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न किया जाए।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों के लिए संवीक्षा किए गए मामलों का सारांश। विवरण अलग उपाबंध के रूप में संलग्न किया जाए।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन सम्मिलित नहीं की गई क्रियाकलापों के लिए संवीक्षा किए गए मामलों का सारांश। विवरण अलग उपाबंध के रूप में संलग्न किया जाए।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज शिकायतों का सारांश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

[फा.सं.25/2/2023-ईएसजेड]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक-'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi,the 26th May, 2025

S.O. 2356(E).—Whereas a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O. 4325(E), dated the 3rd October, 2024, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on 3rd October, 2024;

And whereas, no objections, comments and suggestions were received from persons and stakeholders in respect of the said draft notification;

And whereas, the Tral Wildlife Sanctuary lies about 45 kilometers South-East of Srinagar city. It falls in the Pulwama District of the Kashmir Valley with the district Headquarter Pulwama at a distance about 30 kilometers. The nearest airport, Srinagar is 50 kilometers and the nearest railhead, Awantipora is 15 kilometers. away from the Sanctuary;

And whereas, historically, parts of the protected area, namely Shikargah and Khangund (previously designated as Conservation Reserves), have the distinction of being among the oldest notified protected areas in the country and the notification dates back to 1945, when they were governed by the game laws of the Maharajah of the erstwhile princely state of Jammu and Kashmir. And whereas, in 2019, these Conservation Reserves, along with the adjoining areas comprising territorial forest compartments, were upgraded to a Wildlife Sanctuary and the sanctuary is spread over the rugged and undulating terrain of the Greater Himalayan Mountains, encompassing an area of around 155 square kilometers and came into existence through State Government notification No. FST/WL/07/2018 (SRO-639), dated the 23rd October 2019;

And whereas, the Tral Wildlife Sanctuary and adjoining areas fall within the distribution range of the Kashmir Red Deer (Hangul), a Schedule I species as per the Wildlife (Protection) Act, 1972, and designated as 'critically endangered' in the International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red Data Book and the distribution of the Hangul is restricted to Dachigam National Park and a few adjoining areas only. And whereas the Tral Wildlife Sanctuary is among the few areas outside Dachigam National Park where a population of this critically endangered deer still survives and the sanctuary is also connected with other important wildlife areas, such as Overa-Aru Wildlife Sanctuary and Khrew Conservation Reserve and these protected areas together form a landscape of rich biodiversity and support good populations of some important and endemic species of animals, birds, and vegetation;

And whereas, the Tral Wildlife Sanctuary is home to various endemic species like Kashmir Red Deer (*Cervus hanglu hanglu*), Kashmir Musk Deer (*Moschus cupreus*) and Kashmir Gray Langur (*Semnopithecus ajax*). While other Rare, Endangered and Threatened species found in the sanctuary are Common Leopard *(Panthera pardus)*, Himalayan Griffon Vulture (*Gyps himalayensis*), Bearded Vulture (*Gypaetus barbatus*) and Kashmir Flycatcher (*Ficedula subrubra*) and the Tral forests are blessed with numerous plant species of great medicinal value like *Aconitum heterophyllum*, *Arnebia benthamii*, *Artemisia absinthium*, *Berberis lycium*, *Bergenia ciliata*, *Datura stramonium*, *Dioscorea deltoidea*, *Lavatera cashmeriana*, *Saussurea costus* and *Taxus wallichiana*;

And whereas, the Tral Wildlife Sanctuary falls under the 2A province of biogeographic classification as suggested by Rodgers et al. According to the classification by Champion and Seth (1968), the vegetation of the Sanctuary is typically Himalayan moist temperate forest, sub-alpine forest, and alpine forest types and the vegetation types of the Tral Wildlife Sanctuary are determined by the habitat, form, and density of the dominant floral species. The major vegetation types are:

(1) **Riverine: (1600-2300m):** This type of vegetation occurs at lower altitudes and is dominated by broad-leaved species of *Aesculus indica, Fraxinus hookeri*, *Parrotiopsis jacquemontiana*, and *Juglans regia* the dominant shrubs include *Indigofera heterantha, Lonicera species, Viburnum, Skimmia laurel, Jasminum* species etc.

(2) **Coniferous Forests: (2300-3000m):** This type of forest consists of Blue Pine (*Pinus wallichiana*) and Fir (*Abies pindrow*) as dominant species, found in association with Spruce (*Picea smithiana*) at an altitude of 2300m the woodland also occupies sides of nallahs at some places.

3. **Alpine Scrubs and Pastures: (3000-3500m):** This type of forest consists of treeless pastures having scattered scrub vegetation and Birch (*Betula utilis*) is the most dominant species of this area near the tree line associated with *Juniperus recurva*, Rhododendron species, Viburnum species, Lonicera species and Primula at shady places and extensive alpine

meadows above the tree line known as 'Margs' bear a luxuriant growth of perennial herbs and grasses and also dominant shrub species here are Myosotis species, Cynoglossum species etc. *Betula utilis* is found dotted at some places.

4. **Rock Faces: (above 3500m):** The rocky cliffs and hill tops are dominated by dwarf evergreen shrubs including *Juniperus recurva, Rhododendron anthopogon* etc. associated with herbs, *Stachys sericea, Sieversia elata* and *Veronica melissifolia*.

And whereas, the Tral Wildlife Sanctuary forms an important corridor for the movement of Hangul. The declaration of the eco-sensitive zone shall help in creating a buffer around the sanctuary area leading to a secure, suitable and viable habitat for the last remnant Hangul population;

No therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of zero to 3.26 kilometers from the boundary of Tral Wildlife Sanctuary in the Union territory of Jammu and Kashmir as Tral Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter after referred to as Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-Sensitive Zone** — (1) The extent of the Eco-Sensitive Zone around the Tral Wildlife Sanctuary ranges from **0 kilometer to 3.26 kilometer** from its boundary, encompassing an area of **127.10 square kilometers**, which includes 26 villages and specific extent of the ESZ in different directions is provided below:

Direction	Extent (in kilometer)	Coordinates	
		Latitude	Longitude
North (T22)	0	34° 5' 44.094" N	75° 8' 31.939" E
Northeast (T21)	0	34° 1' 35.515" N	75° 14' 10.813" E
East (T19)	01	33° 56' 30.547" N	75° 13' 59.550" E
Southeast (T18)	01.38	33° 49' 0.150" N	75° 14' 1.532" E
South (T16)	01	33° 50' 38.734" N	75° 7' 15.598" E
Southwest (T15)	01	33° 52' 37.979" N	75° 5' 0.439" E
West (T4)	03.26	34° 0' 1.545" N	75° 1' 0.309" E
Northwest (T2)	01	34° 3' 59.623" N	75° 2' 18.451" E

(2) The detailed description of the Tral Eco-Sensitive Zone is appended as **Annexure-I**.

(3) The boundary description of Eco-Sensitive Zone in different directions along with geo-coordinates of Tral Wildlife Sanctuary boundary is appended as **Annexure- IA**.

(4) The maps of Eco-Sensitive Zone along with boundary details are appended as **Annexure- II** to **Annexure- IIG**.

(5) The list of villages falling in the Eco- sensitive Zone and demographic pattern is appended as **Annexure- III** & **Annexure- IV** respectively.

(6) The list of mammals and birds found in the Tral Wildlife Sanctuary is appended as **Annexure - V**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone. - (1) The Union territory Government shall, for the purposes of the Eco-Sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the Union territory.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone shall be prepared by the Union territory Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and Union territory laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the Union Territory Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

(i) Environment;
(ii) Forests and wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Pollution Control Board;
(x) Municipality;
(xi) Panchayati Raj; and
(xii) Public Works Department.

IndiaCode

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the Union territory administration of Jammu and Kashmir.- The Union territory Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely: -

(1) Land use: (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas along with parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-Sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial, residential, or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified in clause (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or Union territory administration as applicable and vide provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents such as: -

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting ecotourism including home stay; and

(v) promoted activities and concerned regulated activities given in paragraph 4;

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the Union territory administration and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution of India or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-Sensitive Zone shall be corrected by the respective Union territory administration, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) Natural Water Bodies & Springs. – (1) The catchment areas of all natural springs or rivers or channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the Union territory administration in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas as which are detrimental to such areas.

(2) the extraction of ground water shall be permitted for only bonafide agricultural and domestic consumption of the owner or occupier of the land as the case may be. All measures shall be taken to prevent contamination or pollution of water source from any commercial or agricultural or livestock operations.

(3) Tourism or Eco-Tourism. - (a) All new eco-tourism, tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-Sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism in consultation with Environment and Forest Department of Union territory administration.

(c) The Eco-Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan and it shall be based on the carrying capacity studies of the Eco-Sensitive Zone.

(d) The activity of Eco-Tourism shall be regulated as under, namely: -

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 kilometer from the boundary of the Wildlife Sanctuary or up to the extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas only for eco-tourism facilities as per Eco-Tourism Master Plan;

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the eco-tourism guidelines issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change in 2018 and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) Until the Zonal Master Plan is prepared and approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site-specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) Natural Heritage. - All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites. – The buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-Sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise Pollution. -The prevention and Control of noise pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act and as amendments thereto.

IndiaCode

(7) Air Pollution. – The prevention and control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981), and the rules made there under.

(8) Discharge of Effluents. -The discharge of untreated effluent and sewage is prohibited and the discharge of treated effluent in the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), and the rules made there under.

(9) Solid wastes – The disposal and Management of solid wastes shall be as under: -

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time and the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-Sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(**10) Bio-medical waste –**The bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 and as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic waste management - The plastic waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management - The construction and demolition waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

(13) E-waste - The e- waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the Union territory administration, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution -The prevention and control of vehicular pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel such as Compressed Natural Gas, Liquefied petroleum gas, etc.

(16) Industrial units – On or after the publication of this notification in the Official Gazette,

(a) No new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-Sensitive Zone;

(b) non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by Central Pollution Control Board, unless so specified in that notification;

(c) non polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes - The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) Construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone - All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act, the rules made there under and other notifications, laws and acts of the Government of India pertaining to environment, forests and wildlife, in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number 1533(E), dated the 14th September, 2006 and laws for the time being in force in the manner and as amended from time to time specified in the Table below, namely:

Serial number	Activities	Remarks
	Prohibited activities	
1.	Commercial Mining, Stone Quarrying and Crushing Units	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect. Except for meeting the domestic needs of bonafide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-Sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order (s) of the Hon'ble Supreme Court in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012 and IA No. 1000 of 2003 judgment dated the 3rd June, 2022 and subsequent IA No. 131377 of 2022 judgment dated the 26th April, 2023 and the 28th April, 2023.
2.	Setting up of industries causing pollution. (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-Sensitive Zone shall not be permitted: Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric projects.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of	Prohibited.

IndiaCode

	any hazardous substances.	
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	No new solid waste disposal site and waste treatment or processing facility of solid waste is permitted within Eco-Sensitive Zone. Further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment or hospitals etc. is prohibited.
7.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
8.	Setting of Brick Kilns.	All new and existing brick kiln units are prohibited.
9.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, and companies.	Prohibited; Provided that small-scale poultry farms by local farmers can be established for sustenance of their livelihood.
10.	New wood-based industries.	No establishment of new wood-based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law and renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry.
11.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the Eco Sensitive Zone area by any Aircraft, Hot Air Balloons, Helicopter, Gliders, Parasailing, Drones, Microlites etc.	Prohibited. However, Forest and Wildlife Departments may use Drones for creating awareness on forest, environment and wildlife conservation for making documentaries for non-commercial purpose.
12.	Introduction of exotic species.	Prohibited.
13.	Commercial use of Firewood.	Prohibited.
14.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited.
	Regulated Activities	
15.	Commercial establishment of hotels and resorts.	New commercial hotels and resorts along with their expansion shall not be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures only for eco-tourism activities; Beyond one kilometer from the boundary of the protected area, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
16.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted

		to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
17.	Non-polluting industries.	Only non-polluting industries termed as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations.
18.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the Union territory administration. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
19.	Collection of forest produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated as per applicable laws.
20.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated as per applicable laws. Construction or augmentation and renovation of power transmission lines and cables, telecommunication towers and cables shall be permitted. New underground cabling may be promoted.
21.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
22.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines. Strengthening of the existing roads shall be done with proper Environmental Impact Assessment (mandatorily involving the State Forest Department and the Ministry of Environment, Forest, and Climate Change) and mitigation measures as per the guidance document "Eco-Friendly Measures to Mitigate Impacts of Linear Infrastructure on Wildlife." Published by Ministry of Environment, forest and Climate changes.
23.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
24.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated under applicable laws.
25.	Discharge of treated waste water/ effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/ effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise, the discharge of treated waste water or

		effluent shall be regulated as per applicable laws.
26.	Commercial extraction of surface and ground water.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for bonafide agricultural use and domestic consumption of the occupier or owner of the land. (b) Extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted shall require prior permission from the concerned regulatory authority and as per approved master plan. (c) Sale of surface water or ground water to any place outside ESZ is prohibited.
27.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the regulatory authority. Measure shall be taken to cover the wells to prevent accidents.
28.	Solid Waste Management.	Regulated as per applicable laws.
29.	Eco-tourism activities.	Regulated as per applicable laws.
30.	Establishment of commercial livestock and poultry farms.	Regulated as per applicable laws with proper precautions of waste management by local farmers.
31.	Use of polythene/ plastic bags by shopkeepers.	Regulated as per applicable laws, where the thickness of the carry bag should not be less than 120 microns and Non-woven plastic carry bag shall not be less than 60 Gram Per Square Meter (GSM).
Promoted Activities		
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Organic Farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities	Shall be actively promoted. However, excessive expansion of some of these activities should be regulated as per the master plan.
36.	Use of renewable energy and clean fuels.	Bio gas, solar light, Compressed Natural Gas, Liquefied petroleum gas etc. to be actively promoted.
37.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
38.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environment Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee:- There shall be a Committee to be known as Monitoring Committee constituted by the Central Government which shall comprise of the following persons specified in the Table below, namely: -

1.	Collector/Deputy Commissioner, Pulwama	Chairman *'ex-officio;*
2.	Regional officer, Jammu and Kashmir Pollution Control Board	Member *'ex-officio;*
3.	Representative of Non-Government Organization working in	Member;

	the field of wildlife/environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Jammu and Kashmir from time to time every three years	
4.	One expert in ecology and environment to be nominated by the Government of Jammu and Kashmir from time to time every three years	Member;
5.	Divisional Forest Officer, Awantipora	Member *'ex-officio;*
6.	Wildlife Warden, Shopian Division	Member Secretary, *'ex-officio;*

6. Functions of the Monitoring Committee – The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification:

(1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1553 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case-to-case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in proforma specified in **Annexure-VI**, appended to this notification.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional Measures- The Central Government and the Union territory administration may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

Annexure- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF THE ECO-SENSITIVE ZONE AROUND TRAL WILDLIFE SANCTUARY

Point	Latitude	Longitude	Description
T10	34° 2' 44.631" N	75° 7' 51.141" E	Forest Comptt 20N
T11	34° 2' 58.543" N	75° 9' 41.344" E	CO 21/Tral forest area, Pambach Khod
T12	34° 1' 27.882" N	75° 10' 49.018" E	CO 14/Tral forest area
T14	33° 57' 32.762" N	75° 8' 52.391" E	Kahlil Village
T17	33° 52' 21.670" N	75° 10' 33.610" E	Khiram Barren Land
T18	33° 49' 0.150" N	75° 14' 1.532" E	Gund-i-siligom Lidder Nala
T22	34° 5' 44.094" N	75° 8' 31.939" E	Dachigam NP Boundary
T24	34° 5' 43.526" N	75° 2' 16.668" E	Dachigam NP boundary
T1	34° 4' 51.714" N	75° 1' 49.955" E	Burzawas Forest
T23	34° 6' 25.798" N	75° 3' 48.277" E	Dachigam NP Boundary
T21	34° 1' 35.515" N	75° 14' 10.813" E	Owera-Aru WLS Boundary
T20	33° 57' 8.040" N	75° 13' 32.532" E	Owera WLS Boundary
T19	33° 56' 30.547" N	75° 13' 59.550" E	Kolur Forest
T16	33° 50' 38.734" N	75° 7' 15.598" E	Open Scrub Shalagul
T15	33° 52' 37.979" N	75° 5' 0.439" E	Scrub Area Buts
T13	33° 59' 32.259" N	75° 11' 11.704" E	Nishat CR
T7	33° 58' 50.663" N	75° 5' 1.870" E	Hundur Road
T4	34° 0' 1.545" N	75° 1' 0.309" E	open scrub Wusterwan
T2	34° 3' 59.623" N	75° 2' 18.451" E	Nagandar Forest
T3	34° 1' 32.777" N	75° 1' 41.557" E	Badalao Khrew CR Boundary
T6	33° 57' 50.300" N	75° 2' 12.931" E	Khrew CR Boundary
T8	34° 1' 14.497" N	75° 4' 34.556" E	Khanagund
T9	34° 2' 24.485" N	75° 4' 40.473" E	Guturu Village
T5	33° 59' 4.160" N	75° 0' 10.787" E	Gosain Open Scrub

IndiaCode

Annexure- IA

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE IN DIFFERENT DIRECTIONS

Direction	Boundary Description	Distance from PA boundary (in Kms)	Geo-coordinates	
			Latitude	Longitude
North	Dachigam NP boundary	0	34° 5' 44.094" N	75° 8' 31.939" E
Northeast	Overa-Aru WLS boundary	0	34° 1' 35.515" N	75° 14' 10.813" E
East	Kolur Forest	01	33° 56' 30.547" N	75° 13' 59.550" E
Southeast	Gund-i-Siligom, Lidder Nallah	01.38	33° 49' 0.150" N	75° 14' 1.532" E
South	Shalagul	01	33° 50' 38.734" N	75° 7' 15.598" E
Southwest	Buuts	01	33° 52' 37.979" N	75° 5' 0.439" E
West	Wusterwan	03.26	34° 0' 1.545" N	75° 1' 0.309" E
Northwest	Nagander Forest	01	34° 3' 59.623" N	75° 2' 18.451" E

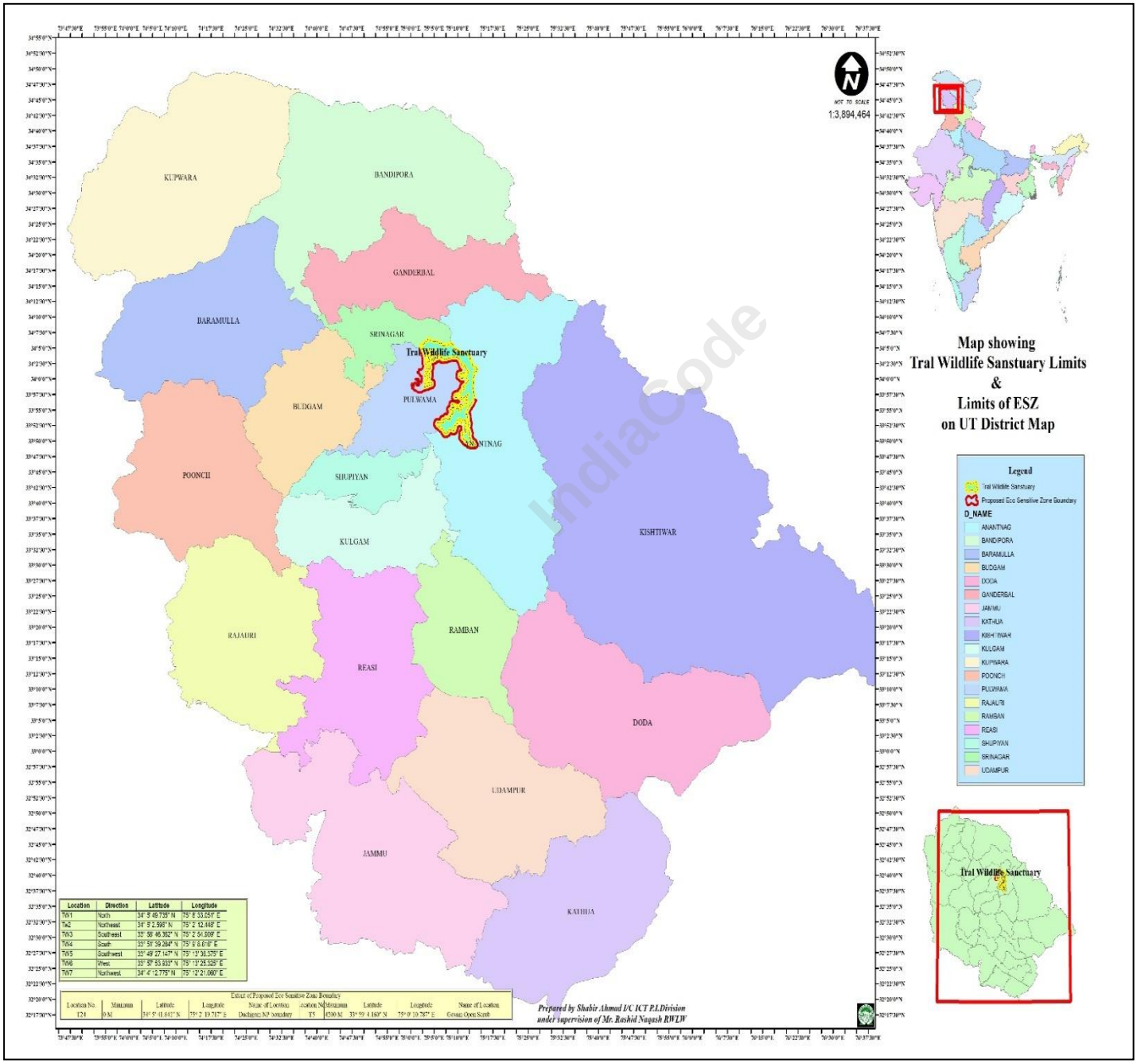
IndiaCode

GEO COORDINATES OF TRAL WILDLIFE SANCTUARY BOUNDAR

Direction	Location	Geo-coordinates	
		Latitude	Longitude
North	Gagyari	34° 06' 35.809" N	75° 03' 42.376" E
North-East	Veha Gul	34° 04' 10.313" N	75° 12' 15.215" E
East	Gandapather	34° 01' 17.364" N	75° 14' 00.051" E
South-East	Tsuru Pantsal	33° 57' 17.826" N	75° 13' 36.699" E
South	Ashdar	33° 49' 25.897" N	75° 13' 37.829" E
South-West	Kamla	33° 52' 44.508" N	75° 05' 35.923" E
West	Zampather	34° 00' 27.029" N	75° 10' 20.771" E

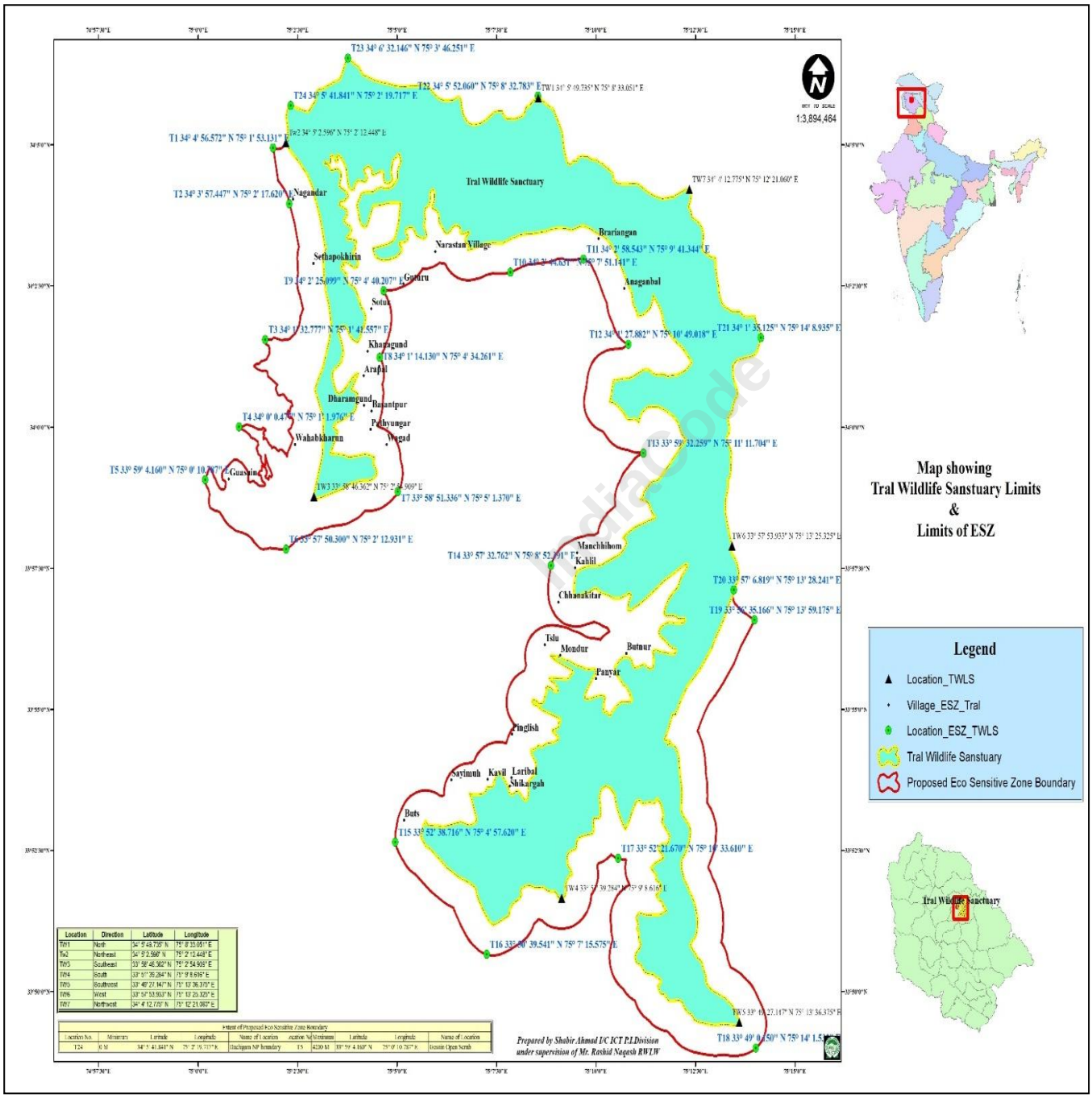
Annexure- II

LOCATION MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF TRAL WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATION



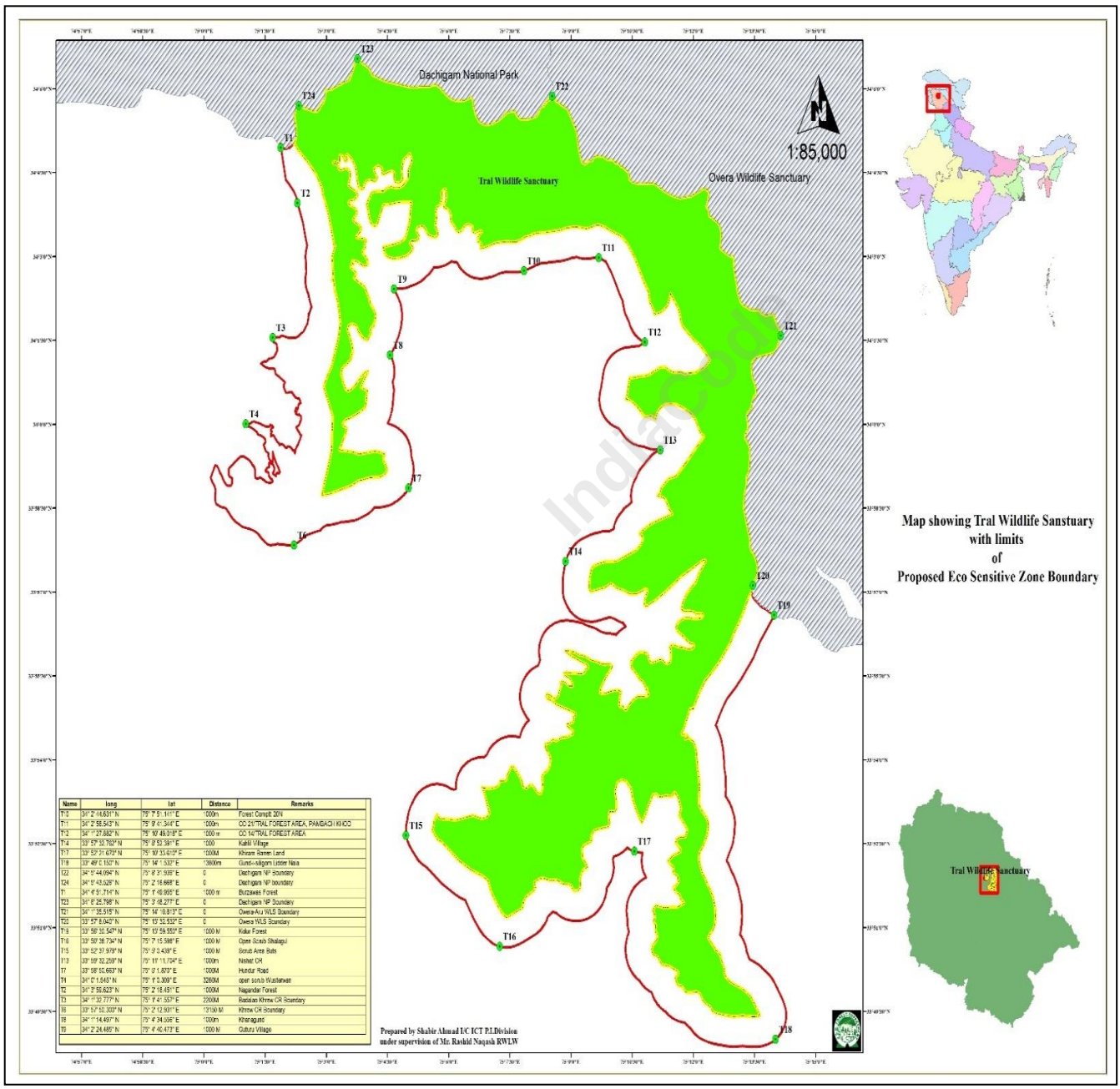
Annexure- IIA

MAP OF THE ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATION



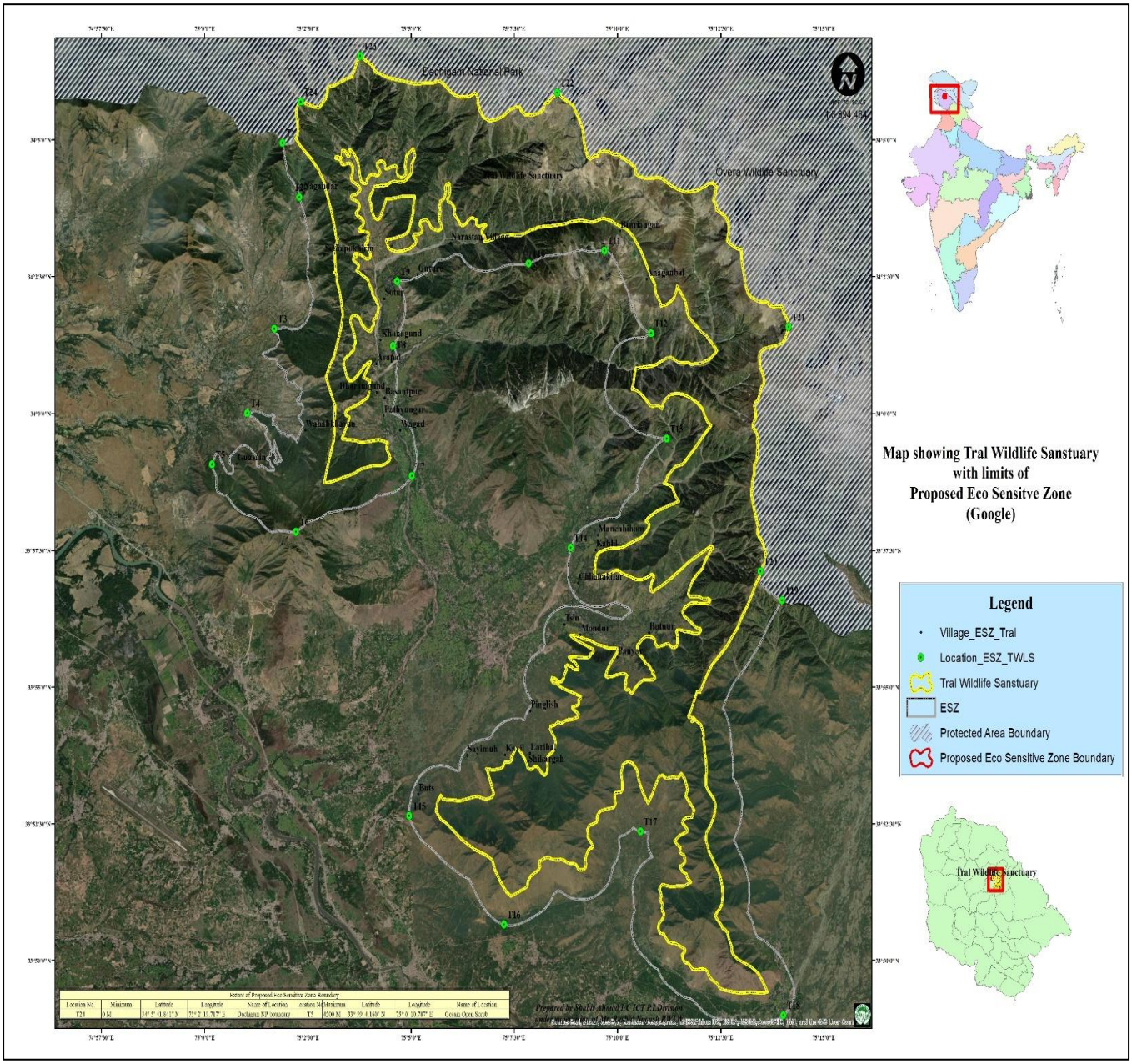
Annexure- IIB

MAP OF THE ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH GEO-COORDINATES AND BOUNDARY DECRIPTION OF PROMINENT POINTS



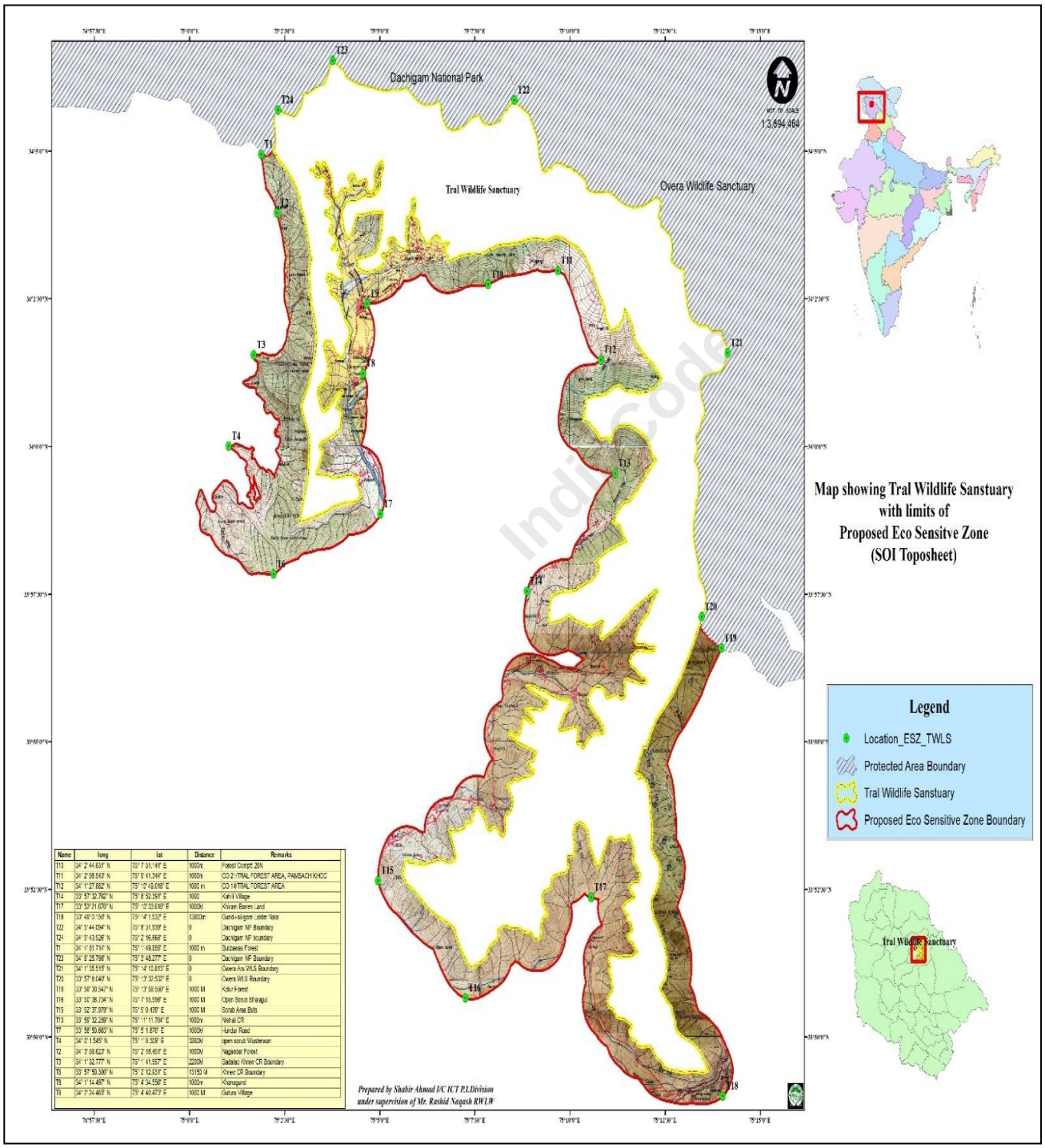
Annexure- IIC

GOOGLE EARTH MAP SHOWING BOUNDARIES OF TRAL WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH PROMINENT POINTS



Annexure-IID

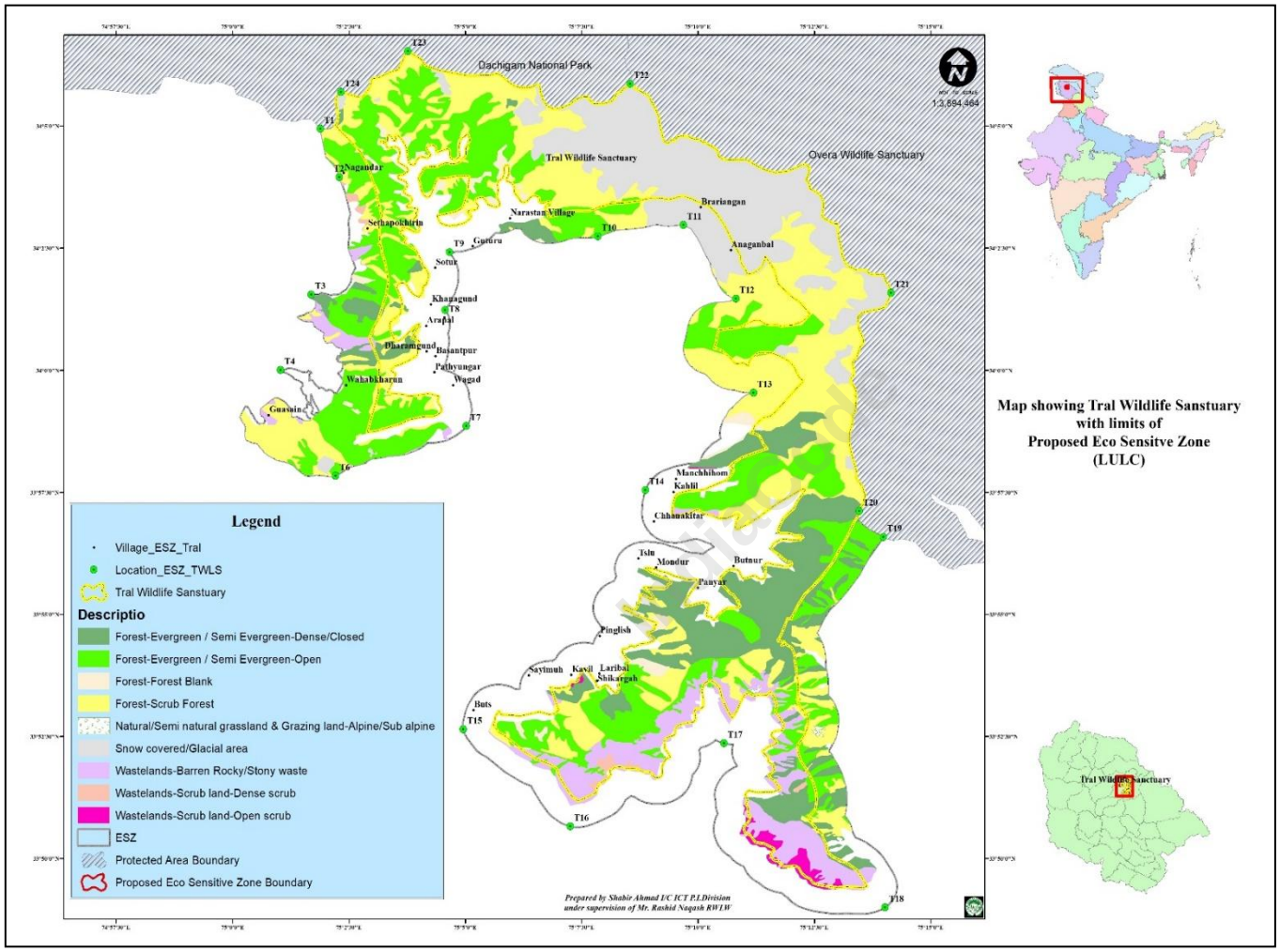
TOPOSHEET MAP OF THE ECO-SENSITIVE ZONE AROUND TRAL WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEOCOORDINATES OF PROMINENT POINTS



Name	long	lat	Distance	Remarks
T10	34° 2' 44.63" N	75° 7' 01.14" E	1000m	Forest Compt: 20N
T11	34° 2' 08.643" N	75° 8' 41.34" E	1000m	CO 2/ TRAL FOREST AREA, PAMBACH KHOD
T12	34° 1' 27.882" N	75° 10' 49.048" E	1000 m	CO 1/4TRAL FOREST AREA
T14	33° 57' 32.782" N	75° 8' 52.354" E	1000	Kahil Village
T17	33° 53' 21.670" N	75° 10' 33.649" E	1000M	Khiran Barren Land
T18	33° 49' 2.150" N	75° 14' 1.532" E	13603m	Gund-i-siligore Lidder Nala
T22	34° 5' 44.094" N	75° 8' 31.539" E	0	Dachigam NP Boundary
T24	34° 5' 43.526" N	75° 2' 16.668" E	0	Dachigam NP boundary
T1	34° 4' 51.714" N	75° 1' 49.959" E	1000 m	Burzaneo Forest
T23	34° 9' 25.798" N	75° 3' 48.277" E	0	Dachigam NP Boundary
T21	34° 1' 55.515" N	75° 14' 10.615" E	0	Overa Aru WLS Boundary
T20	33° 57' 8.049" N	75° 13' 32.532" E	0	Overa WLS Boundary
T19	33° 56' 30.547" N	75° 13' 58.500" E	1000 M	Kdur Forest
T16	33° 50' 38.734" N	75° 7' 10.598" E	1000 M	Open Scrub Bhaigul
T15	33° 52' 37.009" N	75° 6' 9.439" E	1000 M	Scrub Area Buts
T13	33° 55' 32.358" N	75° 11' 11.704" E	1000m	Vishal CR
T7	33° 58' 53.663" N	75° 5' 1.870" E	1000M	Hundar Road
T4	34° 3' 1.545" N	75° 1' 0.329" E	2262M	open scrub Wastewar
T2	34° 3' 59.623" N	75° 2' 18.451" E	1000M	Nagastan Forest
T3	34° 1' 32.777" N	75° 1' 41.557" E	2200M	Sedalac /Kiren CR Boundary
T5	33° 57' 50.306" N	75° 2' 12.251" E	15150 M	Kiren CR Boundary
T8	34° 1' 14.497" N	75° 4' 54.556" E	1000m	Khanagund
T9	34° 3' 24.465" N	75° 4' 40.473" E	1000 M	Gatura Village

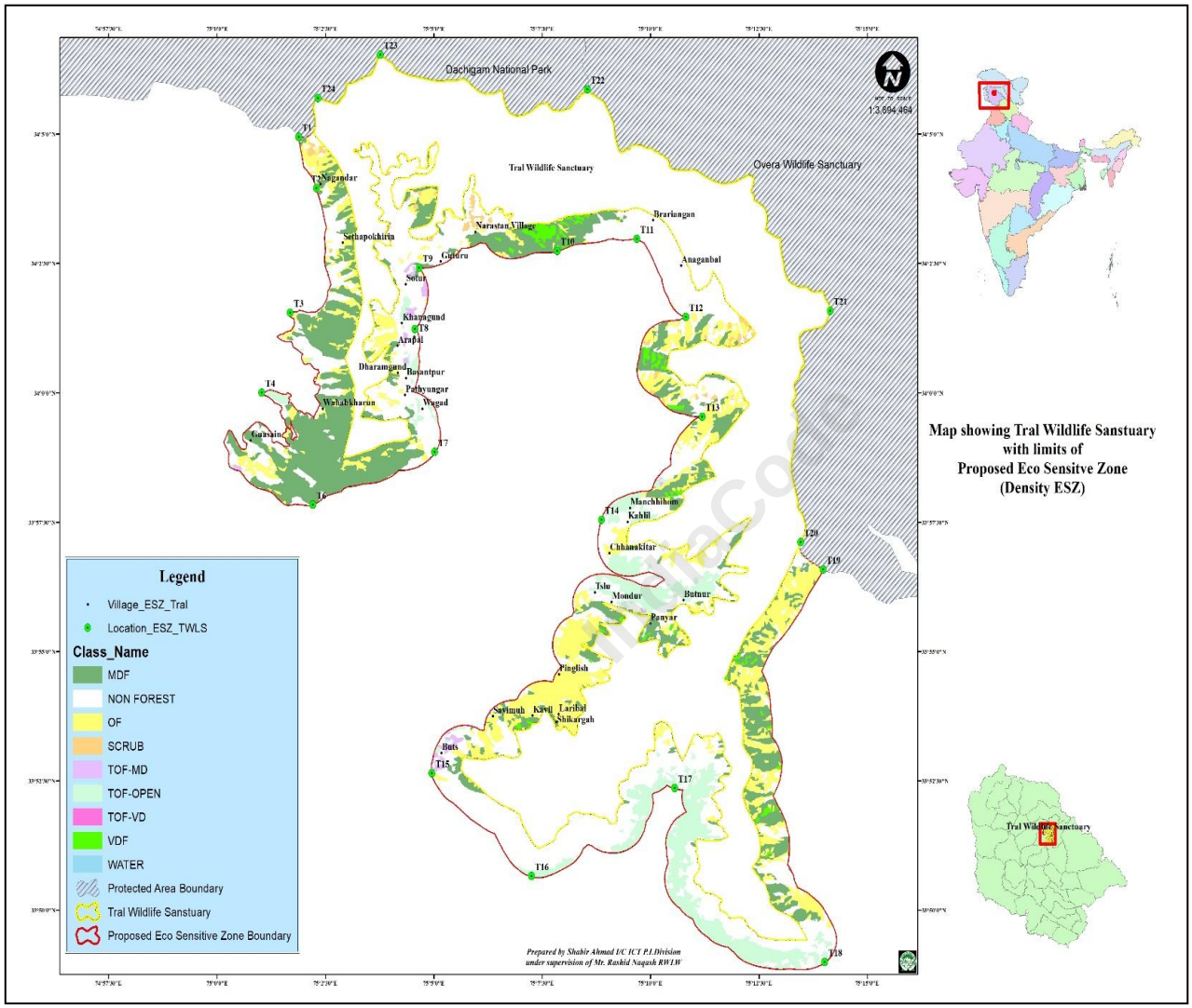
Annexure-IIE

LAND USE LAND COVER MAP OF TRAL WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE



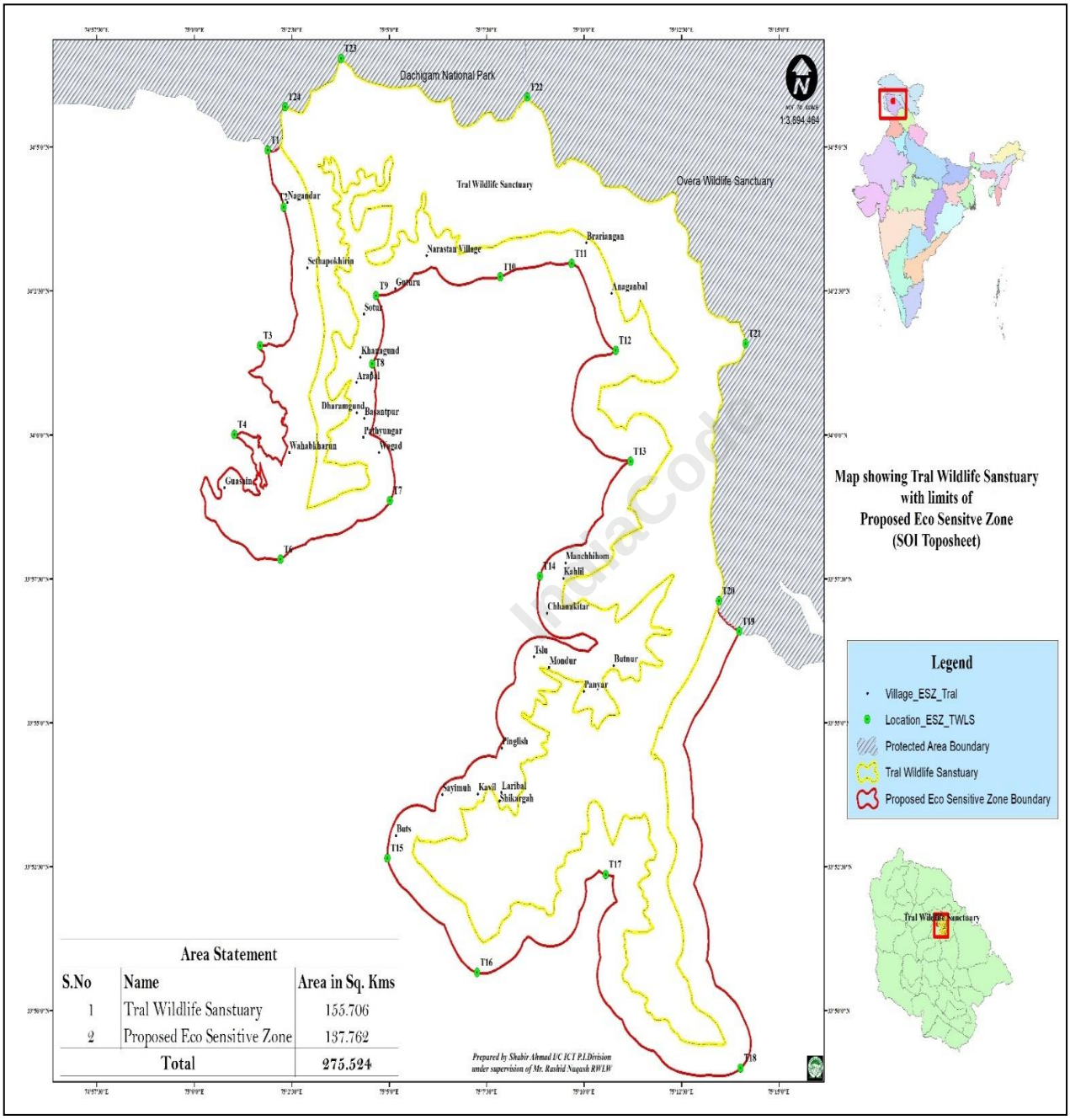
Annexur-IIF

FOREST TYPE MAP OF THE ECO-SENSITIVE ZONE AROUND TRAL WILDLIFE SANCTUARY



Annexure-IIG

LOCATION OF VILLAGES FALLING INSIDE ECO-SENSITIVE ZONE OF TRAL WILDLIFE SANCTUARY



Annexure- III

LIST OF VILLAGES ALONG WITH GEO-COORDINATES FALLING INSIDE ESZ AREA

S. No.	Village	District	Tehsil	Latitude (N)	Longitude (E)
01	Nagander	Pulwama	Pampore	34° 2'54.93"	75° 2'47.27"
02	Sethpokhran	Pulwama	Pampore	34° 0'49.30"	75° 1'40.98"
03	Wahabkharun	Pulwama	Pampore	33°59'42.79"	75° 1'58.61"
04	Wagad	Pulwama	Aripal	33°59'51.31	75° 4'50.89
05	Basantpur	Pulwama	Aripal	34° 0'11.92"	75° 4'45.29"
06	Dharamgund	Pulwama	Aripal	33°59'53.16"	75° 4'49.24"
07	Aripal	Pulwama	Aripal	34° 1'2.32"	75° 4'15.47"
08	Khangund	Pulwama	Aripal	34° 1'35.64"	75° 4'23.29"
09	Satura	Pulwama	Aripal	34° 2'23.46"	75° 4'26.89"
10	Guturu	Pulwama	Aripal	34° 2'43.11"	75° 5'27.26"
11	Narastan	Pulwama	Aripal	34° 3'18.62"	75° 6'0.80"
12	Manchihama	Pulwama	Tral	33°57'43.77"	75° 9'44.87"
13	Kahlil	Pulwama	Tral	33°57'45.11"	75° 9'2.45"
14	Chhanakitar	Pulwama	Tral	33°57'4.04"	75° 9'11.67"
15	Chewa Ullur	Pulwama	Tral	33°56'20.51"	75° 8'52.36"
16	Bathnoor	Pulwama	Tral	33°56'11.05"	75°10'50.02"
17	Mondura	Pulwama	Tral	33°56'2.14"	75° 9'10.01"
18	Pannyer	Pulwama	Tral	33°55'41.85"	75°10'5.10"
19	Pinglish	Pulwama	Tral	33°54'46.03"	75° 7'46.13"
20	Laribal	Pulwama	Tral	33°54'6.73"	75° 8'0.96"
21	Shikargah	Pulwama	Tral	33°53'51.50"	75° 7'58.10"
22	Saimooh	Pulwama	Tral	33°53'41.39"	75° 6'26.50"
23	Buchoo	Pulwama	Tral	33°53'17.44"	75° 5'21.99"
24	Sangnar	Anantnag	Salar	33°53'16.42"	75° 10'08.79"

IndiaCode

25	Panaar	Anantnag	Salar	33°53' 14.22"	75° 11'16.57"
26	Sakhras	Anantnag	Sriguphwara	33°49' 4.82"	75° 13' `16.51"

Annexure- IV

DEMOGRAPHIC PATTERN OF THE VILLAGES FALLING INSIDE ESZ

The proposed ESZ of the Tral Wildlife Sanctuary has 26 major/revenue villages within its limits with an estimated human population of around 45000. The village-wise population as per 2011 census/ concerned chowkidar's report is as under:

S.No	Village	Total	ST/SC	Male	Female	Child (0-6)
01	Nagander	434	00.00	204	147	83
02	Sethpokhran	1651	183	651	691	309
03	Wahabkharun	675	125	300	280	95
04	Wagad	1356	0.00	566	566	224
05	Basantpur	1132	0.00	590	542	NA
06	Dharamgund	586	0.00	274	241	71
07	Aripal	2159	1	1671	471	117
08	Khangund	1765	0.00	808	780	177
09	Satura	3429	832	1462	1458	509
10	Guturu	1376	496	571	577	228
11	Narastan	1356	0.00	689	667	NA
12	Manchihama	3510	0.00	1817	1693	NA
13	Kahlil	4674	0.00	2410	2264	NA
14	Chhanakitar	635	00.00	336	299	NA
15	Tsulu	1378	0.00	687	691	NA
16	Bathnoor	3517	589	1131	1031	355
17	Mondara	2068	5	885	913	270
18	Pannyer	253	NA	NA	NA	NA
19	Pinglish	2869	0.00	1251	1280	338
20	Laribal	829	0.00	319	308	101

IndiaCode

21	Shikargah	996	0.00	439	443	114
22	Saimooh	3111	0.00	1470	1310	331
23	Sangnar	2057	777	904	772	381
22	Panaar	905	NA	NA	NA	NA
25	Ashdar	750	NA	NA	NA	NA
26	Sakhras	1819	0.00	791	821	207

Annexure- V

LIST OF MAMMALS AND BIRDS FOUIND IN THE TRAL WILDLIFE SANCTUARY

(a) Fauna

Around 15 species of mammals, including some rare ones are found within the limits of Tral Wildlife Sanctuary and the adjoining areas and these mammal species include:

1. Kashmir Red Deer *(Cervus hanglu hanglu)*
2. Kashmir Musk Deer (*Moschus cupreous*)
3. Asiatic Black Bear (*Ursus thibetanus*)
4. Himalayan Brown Bear (*Ursus arctos*)
5. Common Leopard (*Panthera pardus*)
6. Leopard Cat (*Prionailurus bengalensis*)
7. Jungle Cat (*Felis chaus*)
8. Red Fox (*Vulpes vulpes*)
9. Siberian Weasel (*Mustela sibirica*)
10. Tibetan Wolf (*Canis lupus*)
11. Golden Jackal (*Canis aureus*)
12. Yellow-throated Marten (*Martes flavigula*)
13. Kashmir Grey Langur (*Semnopithecus ajax*)
14. Rhesus Macaque (*Macaca mulatta*)
15. Indian Crested Porcupine (*Hystrix indica*)

IndiaCode

(b) Avifauna:

The sanctuary and its adjoining area are also home to more than 200 species of birds which notably include:

1. Golden Eagle (*Aquila Christos*)
2. Bearded Vulture (*Gypaetus barbatus*)
3. Himalayan Griffon Vulture (*Gyps himalayansis*)
4. Kashmir Flycatcher (*Ficedula subrubra*)
5. Black-throated Accentor (*Prunella atrogularis*)
6. Orange Bullfinch (*Pyrrhula aurantiaca*)
7. Kashmir Nuthatch (*Sitta cashmirensis*)
8. Chestnut Thrush (*Turdus rubrocanus*)
9. Common Rosefinch (*Carpodacus erythrinus*)
10. European Roller (*Coracias garrulous*)
11. European Bee-eater (*Merops apiaster*)
12. Chestnut-eared Bunting (*Emberiza fucata*)
13. Pine Bunting (*Emberiza leucocephalos*)
14. Rock Bunting (*Emberiza cia*)
15. Black & Yellow Grosbeak (*Mycerobas icterioides*)

IndiaCode

Annexure- VI

PROFORMA OF THE ACTION TAKEN REPORT:

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact

Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.

7. Summary of complaints lodged Under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.

8. Any other matter of importance.

[F.No.25/2/2023-ESZ]

DR. S. KERKETTA, Scientist-G

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.05.28 15:34:45 +05'30'